CONTENTS

Sixteenth Series, Vol. XXVIII, Thirteenth Session, 2017-2018/1939 (Saka)
No. 11, Wednesday, January 3, 2018/Pausha 13, 1939 (Saka)

SUBJECT	PAGES
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 221 to 225 and 235	11- 64
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 226 to 234 and 236 to 240	65-101
Unstarred Question Nos. 2531 to 2760	102-550

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 552-556

MESSAGE FROM RAJYA SABHA
AND
BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA 557

COMMITTE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS
38th Report 558

COMMITTE OF PRIVILEGES
9th Report 558

COMMITTE ON EMPOWERMENT OF WOMEN
11th Report 558

STANDING COMMITTE ON FINANCE
56th Report 559

STANDING COMMITTEE ON PERTOLEUM AND NATURAL GAS
21st and 22nd Reports 559

STANDING COMMITTEE ON COAL AND STEEL
36th Report 560

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
48th and 49th Reports 560

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 36th Report of the Standing Committee on Information Technology on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Ministry of Electronics and Information Technology'

Dr. Alphons Kannanthanam 561

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 10th Report of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas on the subject 'Functioning of Petroleum Conservation Research Association', pertaining to the Ministry of Petroleum and Natural Gas

Shri Arjun Ram Meghwal 562

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 35th Report of the Standing Committee on Information Technology on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Department of Telecommunications, Ministry of Communications

Shri Manoj Sinha 562

(iv) Status of implementation of the recommendations contained in the 297th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Department of Scientific and Industrial Research (DSIR), Ministry of Science and Technology

Shri Y.S. Chowdary 563

MOTION RE: FORTY-NINTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 564

MATTERS UNDER RULE 377 580-608

(i) Need to allot plots to those candidates whose names came in draw of lots for land plots conducted by Jharkhand State Housing Board

Shri Sunil Kumar Singh 581

(ii) Need to extend army benefits to paramilitary forces

Shrimati Meenakashi Lekhi 582-583

(iii) Need to release scholarships to girl students of senior secondary schools in Dausa Parliamentary Constituency, Rajasthan

Shri Harish Meena 584

(iv) Need to provide compensation to villages of Garhwa district of Jharkhand falling under submergence area of Kanhar dam in Uttar Pradesh

Shri Vishnu Dayal Ram 585

(v) Need to establish a research centre of Yoga and AYUSH in Uttarakhand

Dr. Ramesh Pokhriyal 'Nishank' 586

(vi) Need to expedite development works in Maghar, a place associated with sufi saint Kabir in Uttar Pradesh

Shri Sharad Tripathi 587

(vii) Need to establish airports in Dhanbad and Bokaro in Jharkhand

Shri Pashupati Nath Singh 588

(viii) Need to implement Diamond Quadrilateral project of Indian Railways

Shri Prahlad Singh Patel 589

(ix) Need to display reservation chart at railway stations and in trains coaches

Shri Kaushal Kishore 590

(x) Need to establish a memorial in honour of poet Dr. Ramdhari Singh Dinkar in Begusarai disrict, Bihar and also establish a University in his memory

Dr. Bhola Singh 591

(xi) Regarding recruitment in army from Chambal region

Dr. Bhagirath Prasad 592

(xii) Need to construct a permanent bridge on Gangotri National Highway in Uttarkashi district of Uttarakhand

Shrimati Mala Rajyalakshmi Shah 593

(xiii) Need to construct an over bridge at Jugsalai in Jamshedpur Parliamentary Constituency, Jharkhand

Shri Bidyut Baran Mahato 594

(xiv) Need to provide stoppage of Utkal Express (Train No. 18477/78) at Sonua Railway station in Singhbhum Parliamentary Constituency, Jharkhand

Shri Laxman Giluwa 595

(xv) Need to set up consulate offices of ASEAN and other East Asian countries at Guwahati

Shri Rameshwar Teli 596

(xvi) Need for special funds to improve rural road connectivity in Manipur

Shri Thangso Baite 597

(xvii) Need to fix a minimum 120 sittings of Parliament per year

Shri Gaurav Gogoi 598

(xviii) Need to extend Salem-Karur Passenger Train upto Trichy

Shri P.R. Sundaram 599

(xix) Need to restore the earlier sharing pattern of funding to Centrally sponsored Schemes

Shri Bhartruhari Mahtab 600

(xx) Need to allow Bullock Cart race celebrated in Pune district of Maharashtra

Shri Adhalrao Patil Shivajirao 601-602

(xxi) Need to set up a National Cancer Institute at Rajahmundry in Andhra Pradesh

Shri M. Murli Mohan 603

(xxii) Need to restore services of earlier operational trains on Palakkad-Pollachi Railway line

Shri M. B. Rajesh 604

(xxiii) Need to remove the cap on number of applications recommended by Members of Parliament for seeking financial assistance under the Prime Minister's National Relief Fund (PMNRF)

Shri Kaushalendra Kumar 605

(xxiv) Need to check the polluted waste material released by Hindalco company in Ranchi district, Jharkhand and also provide full service benefits to the workers of the company

Shri Vijay Kumar Hansdak 606

(xxv) Need to start a Passport Seva Kendra at Kattappana in Idukki district of Kerala

Adv. Joice George 607

(xxvi) Need to allow Government Medical College Parippally to admit students for MBBS course

Shri N.K. Premachandran 608

OBSERVATION BY THE CHAIR

Constitution (One Hundred and Twenty-Third Amendment) Bill, 2017
Amendment made by Rajya Sabha 610-611

CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTY-THIRD AMENDMENT) BILL, 2017

Amendments made by Rajya Sabha 613-644

Motion to Consider 616-617

Shri Thaawar Chand Gehlot 617-623

Shri Rajeev Satav 627-630

Shri Ganesh Singh 631-637

Shri Kalyan Banerjee 638-644

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 645

Member-wise Index to Unstarred Questions 646-651

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 652

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 653

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, January 3, 2018/Pausha 13, 1939 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You can raise it after Question Hour.

आप क्यों गलत बात उठाते हैं? आपको मालूम है कि ऐसे अलाऊ नहीं करते हैं। प्रश्न काल के बाद बोलिएगा।

...(व्यवधान)

11.01 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Question No. 221, Shri Adhalrao Patil Shivajirao.

(Q. 221 and Q. 235)

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO : The Coal Ministry has fixed the target to bring down the requirement of coal to zero through imports by central public sector companies like NTPC and other State PSUs. I would like to know from the hon. Minister as to what is the percentage of the fall of coal imports in the year 2016-17 as compared to last year. With this pace, by what time the import will be brought down to zero and what would be its impact on the generation of power?

SHRI PIYUSH GOYAL: It is a matter of pride for the nation that after years of being dependent only on increasing imported coal, the country has now been able to increase the supply of coal or the production of coal within the country. We have been able to reduce the import of coal over the last three years consistently. We have given the statistics also. But we believe that it is very unfortunate that in the earlier years, in the last 10-15 years, the country never planned for enough coal production so that power plants could also be designed to use domestic coal. Today, we are largely importing coal only for those plants where we are unable to use domestic coal technically. Other than that, all the plants where we are able to use domestic coal technically, we have been able to replace imported coal with domestic coal. The imports are coming down every year except for those plants where we cannot use this coal technically.

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO: A new coal allocation policy framework, SHAKTI 2017, was approved by the Government in May 2017. It was expected that there would be a major shift in allocation and supply of coal to power sector entities and further, it will cut down the import of coal. What are the new dynamics of coal allocation linkage, pricing structure in the new policy framework and how far it has progressed

since implementation in May 2017 in the cases of the State/Central Gencos, as per the recommendation of the Ministry of Power, Independent Power Producers' Agreement, having Power Purchase Agreement without PPS?

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam, Speaker, it is for the first time that the country has started allocating the natural resources of India in a very transparent manner with an equal opportunity for all to participate and discover the true price. We started with the process of coal block allocation which was done through transparent auctions. We took that to the next level by also making the linkages available to power plants through transparent auctions, which had never been done for many years in the country.

The Scheme for Harnessing and Allocating Koyala Transparently in India (SHAKTI) has provided that all Government PSUs and Government companies will get coal at the notified price through the direct allocation because they are Government companies. Other than that, there were a number of Fuel Supply Agreements (FSAs), which were signed in prior years. Since they are in the nature of a contractual obligation of the Government, we recognized and respected those contracts and made coal available to those companies which had a Fuel Supply Agreement (FSA) under the SHAKTI policy. All other power producers have now been brought under the framework of auction.

Hon. Madam, I am delighted to inform the hon. Members through you that so far we have already given an assured supply of coal for 3,570 megawatt power plants, which earlier had Letter of Assurance. We have given coal allocation through transparent auction process for about 11,550 megawatt of power plants, which had Power Purchase Agreements (PPAs).

The Central and State PSUs with 9,740 megawatt of capacvity have been allocated coal linkages based on the SHAKTI policy and the process for linkages of IPPs without PPA has already been initiated.

HON. SPEAKER: Shri Pritam Gopinath Munde – Not present.

Shri K.H. Muniyappa.

SHRI K.H. MUNIYAPPA : Thank you, Madam, for giving me an opportunity. Coal is very important for the production of electricity. The Government of Karnataka and the Minister of Power have repeatedly requested the Central Government for regular allotment of coal, which is required regularly in the State. But, that is not given. This is the main problem in the State.

Agro production is going down; industries are suffering without power. Even it has become difficult for the State Government to supply regular power through the *Niranthara Jyothi* scheme, which is the State Government initiative especially for students who study at night.

The hon. Minister of Power of the State of Karnataka has come twice and repeatedly requested the hon. Minister of Power and Coal in the Union Government to allocate whatever is the regular allotment for the State of Karnataka. I would like to know from the hon. Minister as to when he is going to provide it to the State of Karnataka.

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam, Speaker, the hon. Minister of Power from Karnataka usually met me only for renewable energy and to get guidelines fixed up so that more and more PPAs in terms of renewable energy could be signed by the State. Unfortunately, they were not being done through a transparent process as they were done through contractual arrangements. Therefore, probably, the regulator was creating a problem and he had to come.

So far as coal supply is concerned, the hon. Minister has never discussed it with me because the ball lies in the court of Karnataka. … (*Interruptions*) Madam, Speaker, I have allocated six coal mines which were situated in my home State of Maharashtra to Karnataka. Unfortunately, they have not been able to manage the affairs well. They landed up in a dispute with the MDO, their own partner company because of which they

are not able to start those mines for more than two years of allocation to the State of Karnataka. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The hon. Member has raised a question and he has to listen to the hon. Minister. The hon. Minister is replying. Please sit down.

… (*Interruptions*)

SHRI PIYUSH GOYAL: Despite that, I am happy to share with the hon. Members, through you, Madam, that coal supply to Karnataka from Coal India has consistently increased. Despite our persuade to the State of Karnataka to accept more and more coal for the year 2016-17, they regulated the coal supply because they had sufficient stocks. In 2017-18, so far we supplied more coal than what was supplied last year. The increase is about 2.3 per cent to the State of Karnataka. The aggregate increase of coal supply across the country to power plants in the current year is nearly 9 per cent over the previous year.

श्री शरद त्रिपाठी : महोदया, सबसे पहले तो मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद दूँगा कि आपने हमें एक ऐसे विषय पर प्रश्न पूछने का अवसर दिया है, जिसमें कालिख भी है और ऊर्जा भी है। हम प्रधान मंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देंगे कि उन्होंने कोयले का ऊर्जा में भरपूर प्रयोग करने का एक पारदर्शी तरीके से प्रयास किया है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि सीबीआई द्वारा की जा रही जाँच में कोल आवंटन में जो धांधली प्रमाणित हुई है, उसमें देश के नुकसान एवं फायदे का अन्तर क्या हैi

श्री पीयूष गोयल : महोदया, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पहले के समय में कोयले के ब्लॉक्स के आवंटन में बहुत सारी गलत चीजों की जानकारी जब देश के समक्ष आयी और सीएजी की रिपोर्ट ने बताया कि लगभग एक लाख 86 हजार करोड़ रुपये का आगे चलकर पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस कोयले के आवंटन में हुआ है, खास तौर पर क्योंकि कई लोगों को मुफ्त में, जो एलिजिबल भी नहीं थे, जिनको नहीं मिलना चाहिए था, उनको भी ये ब्लॉक्स दिए गए थे। उसके कारण देश का भारी-भरकम नुकसान हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने 204 ब्लॉक्स को कैन्सिल किया, तो नई सरकार ने एक पारदर्शी व्यवस्था से इन कोयले के ब्लॉक्स के आवंटन को करने से प्रदेशों को, जहाँ पर कोयले के ब्लॉक्स हैं, उनको लगभग तीन लाख करोड़ से अधिक आगे चलकर मुनाफा मिले, रॉयल्टी मिले, ऑक्शन के माध्यम से प्राइज मिले, इसको सुनिश्चित किया गया है। सीबीआई अलग प्रकार से अपनी जाँच कर रही है, जो लगभग पाँच साल से चल रही है। हाल ही में कोर्ट के स्पेशल जज ने निर्णय दिया है जिसमें कुछ लोगों को दोषी पाया गया है।

कोर्ट ने उनके ऊपर कार्रवाई की, उनको सजा भी सुनाई गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो-जो दोषी हैं, न्यायालय उनके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई करेगा।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : महोदया, पहले तो मैं सरकार को कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए और जो वितरण होता है, उसका युक्तिकरण जिस ढ़ंग से सरकार ने किया है, उसके लिए और ब्लॉक आवंटन और लिंकेज में जो एक सफल पारदर्शी नीति बनाई है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ।

महोदया, मेरा प्रश्न डब्ल्यूसीएल से सम्बन्धित है। एक तरफ हम कोयले के उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन डब्ल्यूसीएल का जो पेंच कन्हान एरिया छिंदवाड़ा जिले में है, वहाँ पर अभी पिछले महीने अचानक माइन्स बन्द करने की बात आई है। उसके पहले भी नई माइन्स खुलने की बात पेंच कन्हान एरिया में थी, लेकिन पिछले महीने एक माइन को अचानक बन्द करने की बात वहाँ पर आई है। मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से जब सारणी जैसा प्लांट मध्य प्रदेश में है, वह एनटीपीसी का है, तो सप्लाई का निकटतम क्षेत्र पेंच कन्हान एरिया है, जो पुराना माइनिंग का एरिया है। वहाँ एक बड़ा स्टैब्लिश सिस्टम है। अचानक ही जब कोई माइन्स बन्द करने की बात आती है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर कर्मचारियों में नाराजगी आती है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपकी तमाम नीतियाँ पूरी तरह से अच्छी हैं, लेकिन पेंच कनहन एरिया का अस्तित्व बचा रहे और वहाँ जो नई माइन्स की संभावनायें हैं, क्या उसके बारे में कोई तत्काल कार्रवाई होगी?

श्री पीयूष गोयल : महोदया, कौन सी माइन को कब बन्द करना है, इसमें सरकार कभी हस्तक्षेप नहीं करती है। अगर मध्य प्रदेश की कुछ माइन्स को बन्द करने का निर्णय लिया गया है, तो वह स्वाभाविक रूप से सेफ्टी, सुरक्षा के कारणों से लिया गया होगा। सरकार ने प्राथमिकता दी है कि अगर कहीं भी सेफ्टी या सुरक्षा काम्प्रोमाइज होती है, तो हम कभी भी रिस्क नहीं लेंगे, टॉलरेट नहीं करेंगे। कुछ माइन्स को सेफ्टी के कारण से बन्द करना पड़ा है। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य और सदन भी इस बात को एग्री करेंगे कि सबसे बड़ी प्राथमिकता वर्कर्स की सेफ्टी होनी चाहिए, वर्कर्स की सुरक्षा होनी चाहिए। मैं सबको आश्वस्त करना चाहूँगा कि किसी भी कर्मचारी के ऊपर इसकी कोई हानि नहीं होगी। उनकी नौकरी भी सुरक्षित है, उनका काम भी सुरक्षित है और इसी कारण वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, (डब्ल्यूसीएल), ने शायद वह माइन सुरक्षा कारणों से बन्द कर दी, उसको अब चार नई माइन्स देने के प्रस्ताव पर हमने निर्णय लिया है। ये रामपिया, डिप साइड रामपिया, घोगरपल्ली और डिप साइड घोगरपल्ली हैं। इन चार माइंस को मिलाकर हर वर्ष 50 मिलियन टन के कोयले का उत्पादन हो सकेगा, जिससे डब्ल्यू.सी.एल. की क्षमता भी बढ़ेगी, और प्रॉफिटैब्लिटी बढ़ेगी। इससे नई नौकरियों के अवसर बढ़ सकेंगे और नए

लोगों को नौकरी मिलेगी। जो माइन बंद हुई है, वह कुल मिलाकर एक मिलियन टन भी उत्पादन नहीं करती थी और उसके स्थान पर 50 मिलियन टन की नई माइंस दी जा सकती है।

SHRI A.P. JITHENDER REDDY : Madam, is the Power Minister aware that the Telangana Government under the leadership of our Chief Minister has launched and is providing 24-hour electricity to the farmers from the 1st of January 2018? I do understand that the Telangana Government is the first government in the whole country to provide 24-hour electricity to the farmers. Will our hon. Prime Minister appreciate this and encourage our Chief Minister by complimenting him in this House? I think the Prime Minister has already left but he may be hearing it from his office. I request him that he should compliment our Chief Minister for providing 24-hour electricity to farmers; he is the first Chief Minister who is giving 24-hour electricity. I would like to ask the Minister whether sufficient coal is being supplied from Singareni coalmines to provide 24-hour electricity to the farmers.

SHRI PIYUSH GOYAL: It is a prerogative of every State Government whether they give free power to the farmers or not.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY : I request you as the Power Minister that you should also compliment this.

PROF. SAUGATA ROY : He is not Power Minister.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY : He is Coal Minister; he is a former Power Minister.

HON. SPEAKER: That is all right.

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam, it is the prerogative of each State, but as the former Power Minister, my only appeal to hon. Member Shri A.P. Jithender Reddy and the State Government is that they should make adequate provision of funds so that the State discom does not once again go back to the pre-Ujwal DISCOM Assurance Yojana era and start making losses. It would be good if the State Government ensures the profitability and viability of the power discoms for sustainable long-term regular power

supply and it should not be for a short-term political gain. But I am delighted to share with the hon. Members, and particularly with the Members from the State of Telangana that the increase in coal supply to the State of Telangana from 2016-17 to 2017-18 is 23.19 per cent. Whichever State demands more coal, we ensure that they get adequate coal.

माननीय अध्यक्ष : मैं इसी प्रश्न के साथ प्रश्न संख्या 235 क्लब कर लेती हूं। वह भी कोल रिज़र्व से ही संबंधित है।

SHRI DINESH TRIVEDI : Hon. Speaker Madam, I will be very very short. There are seven independent units of Coal India Limited and there is a proposal by NITI Aayog in their draft energy policy to make them independent for efficient functioning. Is the Government going to consider this?

SHRI PIYUSH GOYAL: There is no such proposal under consideration of the Government now. NITI Aayog is a think-tank. It comes up with new ideas, new policy suggestions. But at present, there is no such proposal. All these companies remain independent as subsidiaries of a larger holding company Coal India Limited.

माननीय अध्यक्ष : अब आप प्रश्न संख्या 235 को भी प्रस्तुत कर दीजिए।

सुधीर गुप्ता जी।

श्री सुधीर गुप्ता : अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने लगातार कोल नीति को सुधारने का काम किया है। देश में कोयले की चोरी होने और बर्बादी को भी रोकने का उन्होंने प्रयास किया है। मगर, मैं जानना चाहता हूं कि कोयले की बर्बादी रोकने तथा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें बचा कर रखने के लिए क्या सरकार ने कोई नीति बनाई है?

श्री पीयूष गोयल : महोदया, माननीय सांसद जी ने बहुत अहम प्रश्न पूछा है। वास्तव में, यह इंटर-जेनरेशनल इक्विटी से संबंधित है कि ऐसा न हो कि एक ही समय में या कुछ ही दिनों में या कुछ ही वर्षों में पूरा देश कोयले का पूरा लाभ ले ले और आगे चलकर कोयला न मिले, इसके सम्बन्ध में सरकार की लगातार चिंता रहती है। नीति आयोग इस पर लगातार विचार-विमर्श करता रहता है।

लेकिन खुशी की बात यह है कि भारत में पर्याप्त मात्रा में कोयला है और आगे चलकर कई दशकों तक भारत को कभी कोयले की समस्या नहीं होनी चाहिए। हम पर्याप्त मात्रा में नये कोल भंडार डिसकवर करते रहते हैं। नये कोल क्षेत्र की ड्रिलिंग करके रिजर्व को इस्टैब्लिश करते हैं। इस साल नये भंडार ढूँढने और ड्रिलिंग का जो टारगेट था, उसको हमने लगभग 120 प्रतिशत अचीव किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश में कोयले को पर्याप्त मात्रा में सुविधाजनक रूप से उपलब्ध करवा पाएंगे।

(Q. 222)

श्री राजीव सातव : अध्यक्ष महोदया जी, माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न का जो जवाब दिया है, इसमें कुछ टाइम लिमिट फिक्स नहीं की गई है। बेसिकली, अगर देखा जाए तो जब तक हम आने वाले समय में आर्मी के लिए ब्लास्ट और बुलेटप्रूफ बंकर नहीं बनाएंगे, तब तक सही मायने में सैनिकों की शहादत और शौर्य के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे।

मार्च 2017 में आर्मी ने जो स्टेटमेंट रिलीज किया है, आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो फ्यूचर को- टेक्नोलॉजी एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट में इसका जिक्र किया गया है। भारत के कोयम्बटूर में जो यूनिवर्सिटी है, उसमें इसका पेटेंट भी बनाया है। वर्ष 2012 में ध्रूव प्रोजेक्ट के बारे में डीआरडीओ ने बात की थी। वर्ष 2012 में ध्रूव प्रोजेक्ट के बारे में डीआरडीओ का यह कहना था कि "Project Dhruv is aimed at environment enrichment within the shelter. This is one of the components for removing stress in isolated and forward areas." डीआरडीओ का वर्ष 2012 का यह स्टेटमेंट है। क्या सरकार इस बारे में जो बंकर बनाने जा रही है, उसका टाइम लिमिट फिक्स करेगी और उसके साथ ही जो ध्रूव प्रोजेक्ट है, क्या उसके कोलेबोरेशन की भी बात होगी?

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE: Madam, through you, I would like to tell the House as well as the hon. Member that we are aware of all these problems.

Coupled with the threat to the borders from unfriendly neighbours, inhospitable and unique terrain along the borders necessitates the need to maintain 24X7 vigil along the borders. In order to ensure that our borders, especially the Line of Control and Line of Actual Control are guarded day in and day out, there is a requirement to construct bunkers. That is why the Army is looking for composite material in the form of panels which can be easily carried up mountains, and like 'Lego toys', be quickly set up into bunkers.

A leading university recently offered a composite material made of hollow steel, filled with plywood to withstand shell as well as weapon firing. The proposal for Light Weight Material Permanent Defence has been placed in a document 'Future Core Technologies and Problem Statement' released under the aegis of the Army Design Bureau and this was shared with the industry.

The proposals have come from different universities. There are four universities which have come up with the proposals. The first is the Amrita University; the second is the DRDO. This is under consideration and is included in the TDF which is funded by the Defence.

I was just telling you the number of universities which have come up with the proposals. These are the four universities. The Army as well as the Ministry of Defence is working on them. It is included in the TDF. Very soon, we will be approving this because the Army requires these bullet-proof bunkers. We are going for that. The Government is very sensitive. The Government is well aware of the needs of the Armed Forces and is trying to provide them.

श्री राजीव सातव : अध्यक्ष जी, मेरे सवाल का जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया। मैंने टाइम लिमिट के बारे में पूछा था। वर्ष 2012 से डीआरडीओ इसके बारे में काम कर रहा है। अब 2017 भी हो गया, फिर भी आप टाइम लिमिट कन्फर्म नहीं कर पाए। यह पहला मुद्दा है।

दूसरा, जो बुलेट प्रूफ बंकर्स हैं, उनको बनाने में टाइम लग रहा है। मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूं। स्टैंडिंग कमेटी को गवर्नमेंट ने जो रिप्लाई दिया था, उसमें 1 लाख 86 हजार बुलेट प्रूफ जैकेट्स के बारे में बताया था। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप जिसको रेफर कर रहे हैं, क्या स्टैंडिंग कमेटी की वह रिपोर्ट यहां पेश हो गई है?

श्री राजीव सातव : मैडम, यह पब्लिश्ड रिपोर्ट है। स्टैंडिंग कमेटी की जो पब्लिश्ड रिपोर्ट है, उसमें 1,86,138 बुलेट प्रूफ जैकेट्स के बारे में बात हुई थी। स्टैंडिंग कमेटी का एक ऑब्जर्वेशन था, which I would like to quote:

> "The Committee are of the view that a timeframe must be worked out for procurement of the bullet-proof jackets at the earliest. They also wish to be informed about the variations/differences in the quality of bullet-proof jackets procured on the basis of both the above GSQRs in terms of body coverage, etc. "

आप बंकर्स की तो टाइम लिमिट नहीं बता रहे हैं, लेकिन कम से कम बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो हमें देने हैं, 50 हजार आए हैं। हमारी फौज इतनी बड़ी है कि 50 हजार जैकेट्स से हम फौज को पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो क्या बुलेट प्रूफ जैकेट्स की खरीद में हमने टाइम लिमिट बनाया है?

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE: Madam, the hon. Member has asked about the time limit. I would like to inform him that there is a proposal from Amrita University to develop the light weight bullet- proof material which has multi-faceted applications and Rs.9.81 crore has been sanctioned as TDF (Technology Development Fund) for this research. We will be getting that very soon. Besides IIT Guwahati, MIT Pune, Purandar University and Amrita University have also sent their proposals. Amrita's second project is proposed to be carried out in collaboration with Tata Steel.… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज आप सुनिए। मैं समझ रही हूं।

…(व्यवधान)

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE: We are processing it. We will get it as early as possible. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है, यह रिसर्च है। आप रिसर्च में ऐसा नहीं कह सकते।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह बाद में चाय पीते समय बोलिए।

…(व्यवधान)

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE: Madam, I would like to share the information regarding bullet-proof jackets. The procurement of 50,000 bullet proof jackets is made through Indian manufacturers. A supply order of 50,000 bullet proof jackets was made through fast-track procurement by delegating power to the Vice Chief of Army. Besides that, fresh RFI is sent for 1,86,000 bullet-proof jackets and the trials are going on.

SHRI P.R. SUNDARAM : Madam, massive bunkers made of mud and stone have caused a large number of casualties to Army as they tend to collapse if enemy weapons fire accurately. In this regard I would like to know from the hon. Minister whether these modular bunkers have the potential to withstand the enemy fire. What is the amount incurred in developing these modular bunkers? I would also like to know whether any private firm will be involved in developing these modular bunkers. Has any compensation been given to the soldiers from Tamil Nadu who have laid down their lives.

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE: Madam, I would like to inform the hon. Member that no stone-mud-log shelters are being constructed. Presently, steel, concrete hollow block and stone masonry is being utilized. We are looking for the modular type of bunkers and the Ministry of Defence is processing that. We do not have any bunkers made of mud. We have steel bunkers. Army Design Brearu has mentioned in its report about modular bunkers. We are in the process of exploring its feasibility in the market. The Twelfth Army Plan has proposed for construction of more than 8300 bunkers.

HON. SPEAKER: Shri Jugal Kishore – Not present.

SHRI SIRAJUDDIN AJMAL : Madam, thank you very much for giving me this opportunity … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Do you want to ask the question? Why are you talking to them? Please ask the question. चाय पीते समय इसकी चर्चा कर लेना।

SHRI SIRAJUDDIN AJMAL : According to the data given by the Government, there are more than nine lakh strong para-military forces. It consists mainly of CRPF which guards the borders of our country. However, the allowances paid to the military are much more than what is paid to the CRPF personnel. Therefore, more than nine thousand personnel from CRPF, BSF, ITBP, CISF and SSB have already resigned from their services.

Now, I would like to ask the hon. Minister whether the Ministry of Home Affairs have proposed to the Seventh Pay Commission for a special pay for these para-military forces on par with the Army. I would also like to know whether they have proposed for a better leave structure for the personnel who are deployed for counter insurgency operations across the country. If so, I would like to know the details thereof.

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE: Madam, through you, I would like to tell the hon. Member that this is not related to the main question. This is related to the Ministry of Home Affairs.

HON. SPEAKER: Now, Question No. 223, Shri B. Sriramulu. Not present.

(Q. 223)

श्रीमती अंजू बाला : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि आपने जो उत्तर दिए वे बहुत अच्छे हैं। इस समय कोहरे का मौसम है, अक्सर ट्रेनें लेट हो रही हैं और हम समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं, ट्रेनें चार-पांच घंटे लेट चल रही हैं। क्या आने वाले समय में कोई ऐसी योजना बनाई गई है कि हम इस कोहरे से कैसे निपटे, जिससे हमारी ट्रेनें समय से चलें और हम अपना कार्य समय से पूरा कर सकें?

श्री पीयूष गोयल : हमारी बहन ने बहुत ही अहम बात की है। मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूं कि यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इतने वर्षों से कोहरे की समस्या थी, लेकिन वर्ष 2014 के पहले इसके बारे में कोई चिंता नहीं की गई, कोई रास्ता नहीं निकाला गया, जब माननीय सदानंद गौड़ा जी रेल मंत्री थे ...(व्यवधान) उसके बाद सुरेश प्रभु जी आए, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित किया। कैसे कोहरे के लिए कोई डिवाइस लाई जाए, आधुनिक टैक्नोलॉजी के माध्यम से इस समस्या को हल किया जाए, फॉग सेफ डिवाइसेस के लिए आर डी एसओ को लगाया गया। मुझे आप सभी को सूचित करते हुए खुशी होती है कि अभी फॉग सेफ डिवाइसेस अच्छी मात्रा में नार्दन इंडिया में लगे हैं। आज के दिन अगर आप पेपर में देखें तो जितनी मात्रा में एयरलाइन्स की जितनी फ्लाइट लेट होती हैं उससे कम रेलवे में होती हैं, बावजूद इसके कि कई गुणा ज्यादा ट्रेनें चलती हैं।

अध्यक्ष महोदया, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। कोहरे की समस्या बहुत गंभीर हो जाती है और इससे सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा हो जाता है। सरकार तेजी से स्टडी करके निर्णय लेने वाली है। हमने मोटा-मोटी निर्णय ले लिया है, हम अब फाइनलाइज करके उसे वित्त मंत्रालय और कैबिनेट के समक्ष जाएंगे। पूरे देश में आज भी सिग्नलिंग सिस्टम पुराना चल रहा है, मुझे नहीं पता कि यह 100 वर्ष पुराना है या 150 वर्ष पुराना है। आज भी लाल, पीले और हरे एम्बर के चारों रंग पर ट्रेन का सिंग्नलिंग सिस्टम निर्भर करता है। कुछ स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग आया, लेकिन पूरी व्यवस्था को सुधार नहीं किया गया। अगर बीच-बीच में वापस पुराने सिग्नल होंगे it does not impact the entire system. अब हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे सिस्टम को आधुनिक टैक्नोलॉजी जिसे कम्प्यूटर द्वारा कंट्रोल करके ट्रेन का सिग्नलिंग सिस्टम हो। फॉग में पता नहीं चलता कि सिग्नल कब आता है, क्या सिग्नल होता है, ट्रेन को बहुत धीमी गति से जाना पड़ता है, कहीं सिग्नल मिस न हो जाए, आगे एक्सीडेंट न हो जाए। इन सारी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए नई सिग्नलिंग सिस्टम से ट्रेन कम्प्यूटर के माध्यम से यह जानेंगे कि कितने डिस्टेंस के आगे कब रुकना है, कब जाना है। जब हम पुराने सिग्नलिंग सिस्टम पर निर्भर नहीं होंगे तो फॉग में भी समय पर चलने की संभावना बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी।

श्रीमती अंजू बाला : अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने सारे देश को इस बात से अवगत करा दिया कि टैक्नोलॉजी भी आ रही है और आपने इस बारे में सोचा भी है। आपने यह भी बताया कि अगर यह पहले हो गया होता तो मुझे यह क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं होती, इसको आपको भी मानना चाहिए था कि अगर आपने इसे कर दिया होता तो आज मंत्री जी जिस दिशा में चल रहे हैं वह पहले ही हो गया होता। यह सभी के लिए है, सारे देश के लिए है। हम भी चाहते हैं कि यह जल्दी से जल्दी हो, जिस दिशा में मंत्री जी काम कर रहे हैं वह जल्दी करें।

मैं मैक्सिमम ट्रेन से आती-जाती हूं, अक्सर देखा गया है कि जनरल क्लास में लोग चढ़ते हैं तो एक-दूसरे पर चढ़कर खिड़की से अंदर जाते हैं। जनरल में जितनी सीट हैं, उतनी ही टिकट देनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या कोई ऐसी प्लानिंग की है कि उतनी ही टिकट मिलें जितनी सीटें हों? क्या इसके साथ अधिक डिब्बे बढ़ाने की प्लानिंग है?

श्री पीयूष गोयल: माननीय अध्यक्ष जी, देश में यात्री ज्यादा हैं, ट्रेन्स कम हैं। ट्रेन्स की लाइन्स जितनी गति से बढ़नी चाहिए थी, उतनी बढ़ी नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से सदन के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेलवे में होना चाहिए था, उस गति से इन्वेस्टमेंट नहीं करने के कारण ट्रेन्स की लाइन्स कम हैं, रैक्स कम हैं, बोगीज़ कम हैं, लोकोमोटिव्स कम हैं, इसके कारण यह समस्या है। टिकट तो रिजर्व कम्पार्टमेंट में उतनी ही दी जाती हैं जितनी सीटें हैं। लेकिन आखिर यात्री भी क्या करें, यात्रियों को भी पहुंचना होता है, वे अंदर चले जाते हैं क्योंकि उनकी भी अपनी समस्याएं होती हैं। इसका अल्टीमेट सॉल्युशन है कि इन्वेस्टमेंट हो। पिछले तीन साल में रेलवे में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है, वह ऐतिहासिक है। वर्ष 2009-14 के बीच औसतन रेलवे में कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखें, चाहे वह सुरक्षा पर हो, दोहरीकरण पर हो, विद्युतीकरण पर हो या रेलवे लाइनों पर हो, लगभग 46,000 करोड़ रुपए सालाना औसतन लगता था।

आप सबको जानकर खुशी होगी कि इस वर्ष 1,20,000 करोड़ रुपए सरकार रेलवे पर इन्वेस्ट करने वाली है। अगले वर्ष इसे और बढ़ाएंगे। देश में लगातार रेल सुविधाएं बढ़ें, कैपिसिटी बढ़े, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे भारत न्यू इंडिया 2022 की तरफ प्रवेश कर रहा है, उसी स्पीड से रेलवे भी न्यू इंडियन रेलवे 2022 की तरफ तेजी से काम करेगा।

SHRI C. GOPALAKRISHNAN : Madam, I thank you for allowing me to raise an important question.

The Railways must be service oriented. Now-a-days, the Ministry wants to raise income through hidden services. I would like to know the number of trains introduced in the Southern Railway with flexi fares. Will the Government attach additional coaches under this Scheme?

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam, it is a continuous process to keep reviewing how many trains need to be increased and what services are to be given where there is more demand. But all of this is also linked to the line capacity and availability of infrastructure.

I would assure the hon. Member that we are very concerned about all parts of India. 'Sabka Saath Sabka Vikas' is our credo. We work on that and South India is also continuously benefiting from the expansion of the Railways.

SHRI K.C. VENUGOPAL : Madam, the question is about flexi rates. As per the reply given by the hon. Minister, after the introduction of flexi rates, the occupancy rate has not increased. That is why, the Government is going to review the flexi rate system.

As far as late running of trains is concerned, the question asked by the Member was very relevant. Now how can the people depend upon trains which are running very late? In Kerala, all the trains including passenger trains, are running late. Now the Government of Kerala has introduced punching system in its Secretariat. Now the employees are facing a lot of difficulties in reaching office in time because all the trains reach only after 11 o'clock.

Therefore, this is a very major area of concern. I think the Minister should look into this matter and take necessary action as these things are not happening because of technical faults. There are some errors or mismanagement on the part of officers.

I would like to know whether the Minister is going to review the flexi rates. The flexi rates are not helping in increasing the occupancy.

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam Speaker, I hope the hon. Member is not unhappy that the new Government of Kerala has introduced biometrics and making people come on time. I hope that is not the sense of his question that they should not have introduced that.

Having said that, I think, it is very important that trains have to reach on time. Hon. Members often come to me asking for more stoppages and more frequency of trains. Ultimately the line capacity is limited. If we keep adding stoppages; if we keep adding trains, then it affects the regular usage of the infrastructure. More importantly, there is one factor which has certainly had an impact in the last few months. There has been a deep focus on safety. I have given instructions to all zones that wherever track renewal work is required, even at the cost of punctuality, we should first focus on safety because it has a long-term sustainable benefit of safe passenger travel and because of that there are certain additional traffic blocks which we have had to bear with. But, I think, it is in the overall interest of the Railways. This short-term pain will give far greater gain for the nation.

Madam, as regards the flexi-fare scheme, if you look at the answer, almost uniformally -- the data is available for three months -- the occupancy has either increased or remained stable. So, flexi-fare has not resulted in any reduction in passengers in a macro context. Having said that I would like to mention that we had introduced flexi-fare in September last year. We had said after one year we will review it. Accordingly, an eight-member Committee is sitting and reviewing the entire structure holistically. We are now also thinking in terms of dynamic pricing by which it will not just be a one-way entry, we may actually be able to give more concessions in the off season when the occupancy in trains is low so that in the overall budget of a person there is more balance. So, we are making every effort to be responsive to citizen’s concerns. We are very sure all these efforts will bear fruits in the services to the passengers.

As regards the State of Kerala, if all the Members of Parliament stop asking for more stoppages, then we can improve upon punctuality. Since the hon. Member has raised the issue, I would urge all the hon. Members from Kerala to help us get land for expansion and doubling of Railway lines. The biggest challenge in Kerala is to get land irrespective of which Party is in power. It is not a question of which Party is in power. If we can get land we can expand the railway network faster.

श्री विनायक भाऊराव राऊत : अध्यक्ष महोदया, रेल मंत्री जी ने फ्लेक्सी फेयर स्कीम के माध्यम से प्रवास करने वाले पैसेंजर्स को सहूलियत देने या अच्छा मार्ग देने की कोशिश की है। मैं कहना चाहता हूं कि कोंकण रेलवे पर जितनी भी गाड़ियां चलती हैं, उनमें पैसेंजर्स की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोंकण रेलवे पर पैसेंजर्स की जो मांग है, उसे पूरा करने के लिए पूर्व रेल मंत्री जी ने डबलिंग का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के सामने रखा था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि डबलिंग के प्रस्ताव की प्रगति क्या है?

श्री पीयूष गोयल : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत इम्पोर्टेंट क्वश्चेन पूछा है। कुछ समय पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने हास्पिटल में बैठकर पांच-छः घंटे कोंकण रेलवे का रिव्यू किया था। आप कोंकण रेलवे के बारे में जितने प्रश्न पूछना चाहते हैं, मैं उन सबका जवाब दे सकता हूं।

कोंकण रेलवे एक सिंगल लाइन है, लेकिन उस लाइन पर बहुत बड़े टनल्स और क्रिटिकल कर्व्स हैं। उसका दोहरणीकरण का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है, लेकिन जितना पैसेंजर ट्रैफिक वहां पर है, उसे मद्देनजर रखते हुए डबलिंग का प्रपोजल तुरंत इकोनॉमिकल वायेबल नहीं बनता है। वहां फ्रेट का बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, जिससे रेवेन्यू आ सके। इसमें पैसेंजर्स को सुविधा मिले और इन्वेस्टमैंट कम रखते हुए कैसे सुविधा बढ़े, उसके लिए मैंने चर्चा करके अलग-अलग डिस्टेंट्स पर एक साइडिंग बनाकर, जिससे ट्रेन्स पास हो सकें, ऐसी कल्पना के बारे में सोचा है। वे लोग अभी उसका प्रपोजल भेजने वाले हैं। लगभग 700 किलोमीटर के रूट में हो सकता है कि करीब 50-60 जगह हम एक साइडिंग ले लेंगे, जिससे ट्रेन्स पास होने में सुविधा होगी। थोड़े स्टेशन्स और बढ़ जायेंगे, जिससे लोकल पैसेंजर्स को सुविधा होगी। गांव के नजदीक स्टेशन्स भी बनेंगे। लगभग 12 नए स्टेशन्स बनने वाले हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद कोंकण की समस्याओं का काफी समाधान हो जाएगा।

DR. RATNA DE (NAG) : Madam Speaker, thank you very much for giving me the opportunity to ask a supplementary question. Flexi fare scheme, in the first place, should not have been introduced because for people whose only means of transport is the

Railways, they are deprived of seats. They are taken away by persons who are privileged and who can afford them.

Through you Madam, I would like to know from the hon. Minister as to why the Government is allowing ten per cent seats to be sold at the normal rate and thereafter, increase it by ten per cent for every ten per cent berths sold. For whose benefit has it been done?

SHRI PIYUSH GOYAL: I would like to inform the hon. Members through you that Flexi Fare Scheme has been introduced only as an introduction barely in 146 trains out of thousands of trains that are running in the country. It is covering only 4.22 per cent of the trains. When we look at the number of passengers who come under the Flexi Fare Scheme, it is barely 0.22 per cent of the passengers. I do not know which class of this country and which poor people of this country are affected by the Flexi Fare Scheme which the hon. Member is raising. It is only 0.22 per cent of the passengers and that too, it covers only those who mainly travel in the upper class. No second class seat has been brought under Flexi Fare Scheme and no increase has been done in the fares of the second class except in a few Duronto trains. Ordinary passengers are protected from any increase. However, as I said earlier, we are very open to feedbacks and we are responding to the concerns of the people.

A Committee is studying the entire Scheme to make it even better both for the passengers' convenience and railway revenues.

(Q.224)

श्री लक्ष्मण गिलुवा : अध्यक्ष महोदया, पूरे विश्व में हिन्दी सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। हिन्दी भाषा के माध्यम से हमने दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। हिन्दी भारत में ही नहीं, अपितु पूरे विश्व में भारत का गौरव है। हमारे लोकप्रिय प्रधान मंत्री हिन्दी भाषा के सर्वश्रेष्ठ वक्ता हैं तथा विश्व में आयोजित होने वाले हिन्दी सम्मेलन के लिए अच्छी धनराशि आवंटित की है। इसके बाद भी, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अनेक प्रयासों के बावजूद, 70 वर्षों बाद भी संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को आधिकारिक भाषा के रूप में जामा नहीं पहनाया जा सका है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि यूएनओ में हिन्दी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने में कौन-कौन सी दिक्कतें आ रही हैं और इन दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, अच्छा हुआ कि सांसद महोदय ने यह प्रश्न पूछ लिया कि क्या-क्या कठिनाइयां आ रही हैं, वरना आम तौर पर यह बात चलती है कि संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी को आधिकारिक भाषा क्यों नहीं बनाया गया। आज मैं आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से देश को यह बताना चाहूंगी कि हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा न बनाने में सबसे बड़ी कठिनाई है वहां की प्रक्रिया। वहां की प्रक्रिया यह है कि जो देश यह प्रस्ताव लाता है कि आप हमारी भाषा को आधिकारिक भाषा बना दें, जो राशि उस पर व्यय होती है, वह राशि केवल उस देश द्वारा नहीं ली जाती है। अगर वहां यह प्रक्रिया होती कि यदि भारत यह प्रस्ताव कर रहा है कि वहां हिन्दी को आधिकारिक भाषा बना दिया जाए और इस पर आने वाला सारा खर्च वहन करेगा तो अपने देश की राजभाषा को यह गौरव दिलाने के लिए सरकार कोई भी खर्च वहन करने को तैयार है, कोई भी व्यय करने को तैयार है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रिया यह कहती है कि जो धनराशि व्यय होगी, वह संयुक्त राष्ट्र के समूचे सदस्य राष्ट्रों को, यानि 193 सदस्य राष्ट्रों को वहन करनी होगी। इसके लिए वहां मतदान होता है, जिसमें दो-तिहाई बहुमत चाहिए, 129 मत चाहिए। आपको मालूम है कि 129 मत जुटाने में हमें कोई कठिनाई नहीं है, हमने 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कराने के लिए 177 देशों का समर्थन जुटाया। हमने अभी आईसेजे इलेक्शन में 193 देशों में 183 देशों का समर्थन जुटाया। इसलिए 129 देशों का समर्थन जुटाने में दिक्कत नहीं है, कठिनाई तब पैदा होती है, जब वोट में समर्थन देने के साथ उन पर राशि का बोझ पड़ता है। जो आर्थिक रूप से कमजोर देश हमें समर्थन देते हैं, वे यहां समर्थन देते हुए हिचक जाते हैं, क्योंकि पैसे का बोझ उन पर आ रहा है। हम लोग लगे हुए हैं। हमारा प्रयास जारी है कि हम यह प्रस्ताव मोरिशियस, फीजी, सुरिनाम, जैसे जो भारतीय मूल के गिरमिटिया देश हैं, उनके माध्यम से लेकर आएं और किसी तरह उन छोटे देशों का भी समर्थन प्राप्त करें। जिस दिन वह समर्थन मिल गया और 129 देश पैसा देने को भी राजी हो गये, उस दिन यह आधिकारिक भाषा बन जाएगी।

श्री लक्ष्मण गिलुवा : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री यह है कि आज विश्व के 170 विश्वविद्यालयों में हिन्दी भाषा का प्रयोग हो रहा है। विश्व के कोने-कोने में विश्व सम्मेलन हो रहे हैं। यू.एन.ओ. में हिन्दी को भाषा का स्थान दिलाने हेतु कई समितियां एवं उप-समितियां भी बनाई गई हैं। यू.एन.ओ. में हिन्दी को आधिकारिक भाषा बनाने में हर साल 41 करोड़ रुपये के लगभग खर्च आता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यू.एन.ओ. में हिन्दी को आधिकारिक भाषा बनाये जाने पर होने वाले खर्च और हिन्दी के प्रयोग से कहीं सरकार पीछे तो नहीं हट रही है? इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले ही इसका जवाब दे चुकी हूं। आप कह रहे हैं कि 40 करोड़ रुपये का इस पर खर्च आएगा। 40 करोड़ रुपये के खर्च का सवाल नहीं है। अगर 400 करोड़ रुपये का खर्च भी आएगा तो भी भारत सरकार देने को तैयार है, अगर आधिकारिक भाषा केवल भारत द्वारा पैसे दिये जाने पर बन सके। मैंने इसीलिए आपके पहले सवाल का बहुत विस्तार से उत्तर दिया है कि खर्च का सवाल नहीं है। अगर खर्च का वहन केवल भारत सरकार द्वारा किया जाना है तो हम अपनी भाषा के गौरव के लिए कोई भी खर्च करने को तैयार हैं। दिक्कत यह है कि संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रिया के अनुसार सभी सदस्य राष्ट्रों को वह राशि बंटेगी और सबको कुछ-न-कुछ पैसा देना पड़ेगा। इसीलिए मतदान होता है और दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित हो तब उसको आधिकारिक भाषा बनाते हैं। जिस दिन 129 सदस्य राष्ट्र पैसा देने को तैयार होंगे, उस दिन यह आधिकारिक भाषा बन सकेगी। हमारे द्वारा पूरा पैसा दिये जाने के लिए हम आज भी सहमत हैं। मैं सदन में खड़े होकर कह रही हूं तो 40 करोड़ रुपये का सवाल नहीं है और न पीछे हटने का सवाल है। जो भी व्यय होगा, अगर भारत सरकार के पैसे देने से हिन्दी आधिकारिक भाषा बनती हो तो सरकार आज करने को तैयार है।

श्रीमती रमा देवी : माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2017 के आंकड़ों के आधार पर विश्व में भारत की आबादी 17.74 प्रतिशत है और चीन के बाद आबादी की हैसियत से दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। फिर भी आज भी संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी को अपेक्षित स्थान नहीं मिला है। सरकार का कहना है कि हिन्दी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए वह अपेक्षित उपाय करती रही है। दूसरी ओर कहा जाता है कि हिन्दी भाषा को एक आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल करने की स्थिति में बुनियादी सुविधा के उपकरण के अतिरिक्त लागत का प्रावधान करना होगा। राजनयिक मिशनों एवं केन्द्रों में हिन्दी में काम नहीं हो रहा है जबकि हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने जब भी विदेश का दौरा किया है तो उन्होंने अपनी हिन्दी भाषा का ही प्रयोग किया है जिससे हिन्दी जानने वालों ने इनका काफी सम्मान किया है। इससे हमारे भारत देश का काफी गौरव बढ़ा है।

माननीय विदेश मंत्री जी ने अपने जवाब से सदन को संतुष्ट कर दिया है और लगता है कि हमें कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं सवाल पूछ रही हूं कि हमारी विदेश मंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र में

हिन्दी को आधिकारिक भाषा बनाने एवं विश्व में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने की दिशा में अनुमानित लागत को उपलब्ध कराने के लिए क्या वित्त मंत्रालय से कोई बातचीत की है?...(व्यवधान) ठीक है कि विदेश मंत्री जी ने कहा है कि हमारी जरूरत होगी तो 40 करोड़ रुपये नहीं बल्कि हम 400 करोड़ रुपये देने को भी तैयार हैं। अच्छी बात है। लेकिन वहां का एक मत होता है। वह अगर हो जाए तो इस पर सोचा जा सकता है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने उनकी सारी बातों का जवाब पहले ही दे दिया है। सबके मन में जो यह बात है कि खर्च के कारण हिन्दी आधिकारिक भाषा नहीं बन पा रही है और सरकार खर्च उठाने को तैयार नहीं है। इस पर मैं बार-बार कह रही हूं कि सरकार पूरा खर्च वहन करने को तैयार है। संयुक्त राष्ट्र एक राशि बता दे कि भारत हमें यह राशि दे देगा तो हम हिन्दी को आधिकारिक भाषा बना देंगे तो हम कल वह राशि देने को तैयार हैं, लेकिन चूंकि जैसे मैंने बताया कि जो प्रक्रिया है, उसी की मुश्किल है। उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि चाहे हिन्दी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है, लेकिन जब प्रधान मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोले तो हिन्दी में बोले और मैं तीन बार बोली और तीनों बार हिन्दी में बोली। माननीय प्रधान मंत्री जी जिस समय संयुक्त राष्ट्र के टिकाऊ विकास लक्ष्य के शिखर सम्मेलन में बोले तो हिन्दी में बोले। हमारे जितने विशेष अतिथि आते हैं, अगर सामने वाला अंग्रेजी में बोलता है तो हम अंग्रेजी में बात करते हैं वर्ना सबके साथ हिन्दी में बात करते हैं। वे अपनी भाषा में बोलते हैं और हम अपनी भाषा में बोलते हैं। जहां तक विश्व में गौरव बढ़ाने का सवाल है, हिंदी के प्रयोग का सवाल है, विदेश मंत्रालय में जितनी हिंदी आज चल रही है, आज से पहले कभी नहीं हुई थी। मिशनों में, पोस्टों में, हेडक्वार्टर्स में, फाइलों पर, बहुत ज्यादा काम हिंदी में हो रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में केवल यह कठिनाई है कि हम लगे हुए हैं कि 129 लोग भी राशि का वहन अपने सिर पर लेकर सहमत हो जाएं। जिस दिन वे सहमत हो जाएंगे और प्रस्ताव दो तिहाई बहुमत से पारित हो जाएगा, उस दिन हम आधिकारिक भाषा भी बनवा देंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : शशि थरूर जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : गौरव जी, आज आप बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं, लेकिन पहले शशि थरूर जी को प्रश्न पूछने दीजिए।

...(व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR : Madam Speaker, I am a bit puzzled by the Government's answer. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप हिंदी में प्रश्न पूछिए। You can speak Hindi.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR : Madam, in the United Nations, there are six Official Languages and two Working Languages. Now, the six Official Languages are used for formal speeches and translations and the work is done in the two Official Languages, which are English and French.

Similarly, in India, our Foreign Minister says *Bharat ki Rajbhasha*. *Bharat* has no *Rajbhasha.* Article 343 of the Constitution makes it very clear that Hindi is an Official Language. The Official Languages Act of 1963 says that Hindi and English are both Official Languages of India and the Gujarat High Court ruled in 2010 that Hindi is not the National Language of India. So, for us to be spending Government resources in seeking to promote Hindi in this manner raises an important question. Why do we need Official Languages at the United Nations? It is because a number of countries speak them. Arabic does not have more speakers than Hindi. But Arabic is spoken as an Official Language by 22 countries whereas Hindi is only used as an Official Language by one country, which is our country. In Mauritius, Surinam and in some other countries, it is not the Official Language.

Therefore, the question that comes up is, what purpose is being served by this. If, indeed, we have a Prime Minister or a Foreign Minister who prefer to speak Hindi, they can do so and we can pay for that speech to be translated. Why should we put our future Foreign Ministers and Prime Ministers who may be from Tamil Nadu or West Bengal in a position where they are condemned to be speaking a language for which we are paying? The Government has to defend its position. I understand the pride of Hindi speakers in this country. But people in this country who do not speak Hindi also take pride in speaking other Indian languages.

श्रीमती सुषमा स्वराज : अगर आप इस प्रश्न को एलाउ करेंगी, क्योंकि यह प्रश्न इसके विपरीत है। यह प्रश्न पूछा गया है कि हम आधिकारिक भाषा क्यों नहीं बना रहे हैं? वह यह कह रहे हैं कि आधिकारिक भाषा बनाने की जरूरत ही नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह उनका अपना व्यू है।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : जहां तक वह ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो आप विदेश में रहे हैं। हमारे यहां भारत के जानने वाले लोग आए थे। फ़िजी में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसलिए यह मत कहिए कि केवल भारत में यह आधिकारिक भाषा है। जितने गिरमिटिया देश हैं, जहां भारतीय मूल के शासक भी रहे हैं, मॉरिशस, फ़िजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और घाना, इन सभी देशों में भारतीय मूल के हिंदी भाषी लोग हैं।...(व्यवधान) अमेरीका में एनआरआई बने लोग आज भी हिंदी बोलते हैं। जब प्रधान मंत्री जी इतनी बड़ी संख्या में हिंदी प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हैं तो हिंदी में बोलते हैं। जब उनको हिंदी समझ में आती है तभी तो वह हिंदी बोलते हैं। ...(व्यवधान) नेपाल में लोग हिंदी बोलते हैं, यह कहना कि हिंदी केवल भारत में बोली जाती है, यह सिवा आपकी अज्ञानता के और किसी भी चीज का प्रतीक नहीं है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Q. 225 – Shri B. Vinod Kumar - Not present.

Mr. Minister, you can lay the reply on the Table of the House.

(Q.225)

श्री अभिषेक सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आईटी सैक्टर की इस देश की अथव्यवस्था में और रोजगार में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन वर्तमान में तकनीक और टेक्नोलॉजी में जो बदलाव आए हैं तो एक बड़ा सवाल है कि क्या ऑटोमेशन से आईटी सैक्टर की रेवेन्यू और आईटी सैक्टर के जॉब्स पर असर पड़ेगा?

12.00 hrs

इस दिशा में एक सर्वे यह भी है कि हर तकनीक के बदलाव से रोजगार में और अर्थव्यवस्था में बदलाव आते हैं। क्या सरकार द्वारा या अन्य बौद्धिक संस्थाओं द्वारा इस तरह का कोई सर्वे या एनालिसिस है, जिसके माध्यम से हम आटोमेशन की इस चुनौती को अवसर में तब्दील कर सकें और अपने देश के युवाओं को इस बात के लिए तैयार कर सकें कि आटोमेशन या बदलाव आईटी सैक्टर में आ रहा है, उसका हम फायदा उठाकर देश में रोजगार के अवसर पैदा कर सकें?

श्री रवि शंकर प्रसाद : आटोमेशन यदि कुछ नौकरियां समाप्त करता है, तो कुछ नई नौकरियों को जन्म देता है। हमारी सरकार नई-नई टेक्नोलोजी का पूरा प्रयोग कर रही है। छोटे शहरों में बीपीओ खुल रहे हैं। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, रायपुर, तिरूचिरापल्ली, ग्वालियर, रायसेन आदि जगहों पर और कश्मीर में भी बीपीओ खुल रहे हैं। लगभग 2,70,000 सीएसी खुले हैं और बड़ी संख्या में आज स्टार्टअप मूवमेंट आगे आ रहा है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में टेक्नोलोजी के माध्यम से डिजिटल इन्क्लूज़न हो, अधिक नौकरियां मिलें, अधिक विस्तार हो, यह हमारी कोशिश है।

माननीय अध्यक्ष : श्री दीपेन्द्र हुड्डा। आप बिलकुल संक्षिप्त में प्रश्न पूछिए, क्योंकि प्रश्नकाल का समय समाप्त होने ही वाला है।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : महोदया, आईटी सैक्टर हमारे देश के राजस्व का एक महत्वपूर्ण सैक्टर बनता जा रहा है। हमारा देश न सिर्फ अपने देश के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए आईटी सैक्टर का सैंटर बनकर उभरा है। मेरा कहना है कि आईटी सैक्टर को राजस्व के रूप में ही न देखें, बल्कि जो लाखों-करोड़ों नौजवान आईटी सैक्टर में कार्यरत हैं, उनके नजरिए से भी देखना चाहिए। हमारा लगभग 70 प्रतिशत राजस्व यूएस मार्केट से आता है। अमेरिका का ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन, प्रोटेक्ट एंड ग्रो अमेरिकन एक्ट हैं। एच1-बी वीजा दबाव में आया है। एच1 -बी वीजा के लिए आज हिन्दुस्तान टाइम्स अखबार में आया है कि साढ़े सात लाख आईटी इंजीनियर अमेरिका में हैं, उन्हें डिपोटेशन करने की तैयार हो रही है।

आईटी सैक्टर हमारे करोड़ों नौजवानों के लिए एसपिरेशन का जरिया है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए। प्रश्नकाल का समय समाप्त हो गया है।

...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : मुझे याद है कि मुझे स्वतंत्रता का आभास...(व्यवधान) या जब मैं इंफोसिस में काम करता था, तब हुआ था। अभी इवान्का ट्रम्प इंडिया में एंटरप्रिन्युरशिप के लिए आई थीं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : समय समाप्त हो गया है, आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : जो डिपोर्ट हो जाएगा, उसकी पूरी जिन्दगी पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आप मुझे एक मिनट का समय बोलने के लिए दीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद एक मिनट का समय नहीं दे सकती हूं।

...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : अमेरिका से साढ़े सात लाख आईटी और कम्प्यूटर इंजीनियर्स के डिपोर्टेशन की तैयारी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, उस पर मंत्री जी का क्या कहना है?

HON. SPEAKER: I am sorry.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Mr. Minister, do you have anything to say?

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: No, Madam… अगर समय होता, तो जवाब जरूर देता। (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Question Hour is over.

मैंने कहा था कि आप छोटा प्रश्न पूछिए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं मिली हैं। ये मामले महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अभी व्यवधान मत डालें। अन्य अवसरों पर इन मामलों को उठाया जा सकता है, इसलिए स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना को अनुमति नहीं दी जा सकती है।

...(व्यवधान)

12.03 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1)(एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2016-ि2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8362/16/18]

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 8363/16/18]

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) सेंटर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमैटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमैटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8364/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAJEN GOHAIN): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rail Land Development Authority, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rail Land Development Authority, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8365/16/18]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल विजय कुमार सिंह) (सेवानिवृत्त) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रत्यर्पण नियम, 2017 जो अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 830(अ) जो 5 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8366/16/18]

(2) प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 की धारा 35 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) सा.का.नि. 418(अ) जो 1 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो भारत और थाईलैंड के बीच प्रत्यर्पण संधि के बारे में है तथा जिस पर 30.5.2013 को बैंकाक में हस्ताक्षर हुए थे और जो 29.6.2015 से प्रभावशील हुई थी।

(दो) सा.का.नि. 419(अ) जो 1 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो भारत और वियतनाम के बीच प्रत्यर्पण संधि के बारे में है तथा जिस पर 12.10.2011 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए थे और जो 12.08.2013 से प्रभावशील हुई थी।

(तीन) सा.का.नि. 420(अ) जो 1 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो भारत और मलेशिया के बीच प्रत्यर्पण संधि के बारे में है तथा जिस पर 20.01.2010 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए थे और जो 13.02.2011 से प्रभावशील हुई थी।

(चार) सा.का.नि. 421(अ) जो 1 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो भारत और ब्राजील के बीच प्रत्यर्पण संधि के बारे में है तथा जिस पर 16.04.2008 को ब्राजीलिया में हस्ताक्षर हुए थे और जो 20.08.2015 से प्रभावशील हुई थी।

(पांच) सा.का.नि. 566(अ) जो 6 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो भारत और अजरबैजान के बीच प्रत्यर्पण संधि के बारे में है तथा जिस पर 13.04.2013 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए थे और जो 20.06.2014 से प्रभावशील हुई थी।

[Placed in Library, See No. LT 8367/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES (SHRI Y.S. CHOWDARY): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(1) Review by the Government of the working of the Central Electronics Limited, New Delhi, for the year 2016-2017.

(2) Annual Report of the Central Electronics Limited, New Delhi, for the year 2016-2017, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 8368/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI P.P. CHAUDHARY): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the 13th Annual Statement (Hindi and English versions) on Pending Law Commission Reports-(December, 2017).

[Placed in Library, See No. LT 8369/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(1) Review by the Government of the working of the Mazagon Dock Shipbuilders Limited, Mumbai, for the year 2016-2017.

(2) Annual Report of the Mazagon Dock Shipbuilders Limited, Mumbai, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 8370/16/18]

12.04 hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA
AND
BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report that Rajya Sabha has returned the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2017, as passed by Lok Sabha, with amendment.

Madam Speaker, I also lay on the Table the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2017, as returned by Rajya Sabha, with amendment.

12.05 hrs

COMMITTE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
38th Report

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): I beg to present the Thirty-eighth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Private Members’ Bills and Resolutions.

12.05 ½ hrs

COMMITTE ON PRIVILEGES
9th Report

श्रीमती मीनाक्षी लेखी(नई दिल्ली) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं विशेषाधिकार समिति का नौवाँ प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूँ।

12.06 hrs

COMMITTE ON EMPOWERMENT OF WOMEN
11th Report

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI): I beg to present the Eleventh Report (Hindi and English versions) of the Committee on Empowerment of Women (2017-18) on the Subject 'Women's Health Care: Policy Options'.

12.06 ½ hrs

STANDING COMMITTE ON FINANCE
56th Report

SHRI M. VEERAPPA MOILY (CHIKKABALLAPUR): I beg to present the Fifty-sixth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Finance on the subject 'Transformation towards a Digital Economy'.

12.07 hrs

STANDING COMMITTEE ON PERTOLEUM AND NATURAL GAS
21st and 22nd Reports

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas:-

(1) Twenty-first Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Eighteenth Report (Sixteenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas (2016-17) on 'Demands for Grants (2017-18)'.

(2) Twenty-second Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Twentieth Report 6 (Sixteenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas (2016-17) on 'Centre for High Technology'.

12.07 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON COAL
36th Report

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं कोयला मंत्रालय से संबंधित 'कोयला का उत्पादन, विपणन और वितरण' विषय पर कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 36वाँ प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

12.07 ¾ hrs

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
48th and 49th Reports

श्री रमेश बैस (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2017-18) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :-

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (निःशक्त व्यक्ति अधिकारिता विभाग) से संबंधित 'सहायक सामग्री/उपकरण(एडीआइपी) के खरीद/फिटिंग के लिए निःशक्त व्यक्तियों को सहायता की स्कीम का कार्यान्वयन' के बारे में 48वाँ प्रतिवेदन।

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'जनजातियों के लिए शैक्षणिक योजनाएं' के बारे में 49वाँ प्रतिवेदन।

12.08 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 36th Report of the Standing Committee on Information Technology on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Ministry of Electronics and Information Technology*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINSTRY OF TOURISM AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (DR. ALPHONS KANNANTHANAM): On behalf of Shri Ravi Shankar Prasad, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 36th Report of the Standing Committee on Information Technology on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Ministry of Electronics and Information Technology'.

---

* Laid on the Table and also placed in Library See No. LT 8371/16/18.

12.08 ½ hrs

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 10th Report of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas on the subject 'Functioning of Petroleum Conservation Research Association', pertaining to the Ministry of Petroleum and Natural Gas*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): On behalf of Shri Dharmendra Pradhan, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 10th Report of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas on the subject 'Functioning of Petroleum Conservation Research Association', pertaining to the Ministry of Petroleum and Natural Gas.

12.09 hrs

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 35th Report of the Standing Committee on Information Technology on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Department of Telecommunications, Ministry of Communications*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MANOJ SINHA): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 35th Report of the Standing Committee on Information Technology on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Department of Telecommunications, Ministry of Communications.

---

* Laid on the Table and also placed in Library , See No. LT 8372/16/17 and 8373/16/18 respectively.

<u>12.09 ½ hrs</u>

(iv) Status of implementation of the recommendations contained in the 297th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Department of Scientific and Industrial Research (DSIR), Ministry of Science and Technology*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EARCH SCIENCES (SHRI Y.S. CHOWDARY): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 297th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Department of Scientific and Industrial Research (DSIR), Ministry of Science and Technology.

---

* Laid on the Table and also placed in Library See No. LT 8374/16/18.

<u>12.09 ¾ hrs</u>

MOTION RE: FORTY-NINTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): I beg to move:

> "That this House do agree with the Forty-ninth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 2nd January, 2018."

HON. SPEAKER: The question is:

> "That this House do agree with the Forty-ninth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 2nd January, 2018."

The motion was adopted.

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, एक मिनट के लिए मेरी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ज्योतिरादित्य जी, आपने जो प्रिवलेज मोशन दिया है, मैं उसको कंसीडर कर रही हूँ, इसलिए, मुझे लगता है कि उसके बारे में आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आगे बोल रही हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं किसी को मना नहीं कर रही हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरा पूरे सदन से यह निवेदन ...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी, प्लीज़ मेरी बात एक सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है, आप सब उसके संदर्भ में बोलना चाहते हैं। मैं किसी को बोलने के लिए मना नहीं करूँगी। मेरी आप सब लोगों से केवल एक रिक्वेस्ट है कि ये जो सारी बाते हैं और जो कुछ भी हो रहा है, उसके बारे में बोलते समय हम सभी लोग कुछ बातों का ध्यान रखें।

मुझे लगता है कि हमारे यहाँ एक ज़माना ऐसा था, जब अंग्रेजों ने हमारे आपस में फूट डालकर, हमारे एक-एक शासक को पराजित करते हुए, अपना राज हमारे देश पर जमा लिया था। हम सभी जन प्रतिनिधि हैं। हम अपने-अपने क्षेत्र और पूरे भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस प्रकार हम कहते हैं कि - ''स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः'', उसी प्रकार मैं कहूँगी, जिसे आप लोग याद रखिएगा - ''स्वराज्य निधनं श्रेयः परराज्य भयावहः''। यह हम सब ने अनुभव किया है।

आज आप लोग यहाँ जो भी विषय उठाएंगे, उन्हें आप अपने-अपने अलग तरीकों से उठाइए, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, कि आखिर में हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं। हम सभी को कहीं न कहीं एक होकर इस राष्ट्र की रक्षा करनी है। इसके लिए हम यहाँ हैं। यह समस्या, जो उभर रही है, इसका निदान आरोप-प्रत्यारोप लगाकर नहीं होगा। हम सभी को यहाँ मिल-बैठकर इस समस्या का निदान करना है। मुझे जो लगा, मैं वह आप सब के सामने रख रही हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, सुरेश जी, मेरी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूँ। मैं यह कह रही हूँ कि आज देश के सामने जो भी समस्याएँ आ रही हैं, वे केवल आरोप-प्रत्यारोप से नहीं सुलझेंगी। इसलिए प्लीज़, आप सब एक रिस्पॉन्सिबिल जन प्रतिनिधि के नाते इन समस्याओं को उठाइए। मैं इसके लिए आप सब से हाथ जोड़ कर निवेदन ही कर सकती हूँ। मैं आप सब से यह निवेदन देश के लिए कर रही हूँ।

इससे पहले कि आप सब बोलें, आज मुलायम सिंह जी डिफेंस के मामले में अपनी बात कहना चाहते हैं। उन्होंने कल भी रिक्वेस्ट की थी। आज उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की है। पहले उन्हें बोलने दीजिए, फिर मैं आप को allow कर दूँगी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, उन्होंने कल से रिक्वेस्ट की हुई है। आप उनकी बात भी समझिए। वे कुछ कहना चाहते हैं। उन्हें बोलने दीजिए।

मुलायम सिंह जी, आप शॉर्ट में बोलिए।

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात संक्षिप्त में कहूँगा। मैं लंबा भाषण नहीं दूँगा।

मैं आपके सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ। मेरा सीधा सा सवाल, जो समस्या है, उसी पर है। आज जम्मू और कश्मीर की सीमा पर और आगे चीन की सीमा पर भी लगातार हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं। हमारे यहाँ

पाकिस्तान और चीन प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। यह एक गंभीर समस्या है। मैं यह बात किसी दलगत भावना से नहीं कह रहा हूँ। आपने जो कहा है, मैं उससे सहमत हूँ। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि पूरे देश के बारे में सदन में बहस की जाए।

रक्षा मंत्रालय की जिम्मेवारी संभालने का मौका हमें भी मिला था, लेकिन उस समय देश की एक इंच भूमि पर भी वे कब्जा नहीं कर पाए थे। जब भी उन्होंने हमारी भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की, तब हमारी सेना ने उनकी सीमा पर जाकर उन पर हमला किया, जिसमें उधर के कई लोग मारे गए थे। इस प्रकार की एक नहीं, बल्कि अनेक घटनाएँ हैं। मैं इन घटनाओं का लंबा उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदया, आपको याद होगा कि उस समय इस पूरे सदन ने हमें बधाई दी थी। माननीय अटल जी ने भी हमें बधाई दी थी। हमारे हिन्दुस्तान की सेना सब से बहादुर सेना है। पूरी दुनिया में इतनी बहादुर सेना कहीं और नहीं है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन सरकार यह बताए कि क्या वजह है कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब हम इतने शक्तिशाली देश हैं और हमारे देश की सेना भी इतनी शक्तिशाली है, इसके बावजूद हमारे जवान क्यों शहीद हो रहे हैं? क्या सरकार किसी दुविधा में है?

मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने हमारे सैनिकों को खुली छूट नहीं दी हुई है, ताकि वे अपनी रक्षा के लिए कुछ कर सकें। हमने सैनिकों को यह छूट दे रखी थी, कि यदि आप पर कोई हमला करे, तो आप उनके घर में घुसकर उन पर हमला कीजिए। आपको याद होगा कि हमारी सेना ने लाहौर में जाकर मैदान में उन्हें खदेड़ दिया था। हमने उन्हें आदेश दिया था। हम यही जानना चाहते हैं कि हमारे देश के जवान आज क्यों शहीद हो रहे हैं? हमारा देश उनसे सात-आठ गुना बड़ा है, हमारी सेना इतनी बहादुर है, इसके बावजूद आज हम उनसे पिट रहे हैं?

हमारे देश की दुनिया में बदनामी हो रही है कि पाकिस्तान और चीन हिन्दुस्तान की सेना को मार भी रहे हैं और हमारी जमीन पर कब्जा भी कर रहे हैं। पूरी दुनिया में हमारा अपमान हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ। जब ऐसा हुआ तो युद्ध हो गया। लेकिन आज हमारी सेना के जवान मारे जा रहे हैं। मेरा कहना है कि सरकार को सेना को दुविधा में नहीं रखना चाहिए। उनको स्पष्ट आदेश होना चाहिए कि यदि आप पर हमला करें तो आप घुसकर उन पर हमला करें।

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, आपने अपनी बात कह ली है।

श्री मुलायम सिंह यादव : मैंने ऐसा लिखित आदेश दिया था। आप उसको देख लीजिए। यह मामूली सवाल नहीं है, यह घटना मामूली नहीं है। हमारे देश का सम्मान दुनिया में गिर रहा है, क्योंकि हम पिट रहे हैं, हमारे बहादुर सैनिक मारे जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, आपकी भावना सभी तक पहुंच चुकी है। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : सरकार को जवाब देना चाहिए कि उसको क्या दुविधा है? जब वे हमला कर रहे हैं तब हमारे जवानों को दुविधा में रखा जा रहा है। ऐसी मेरे पास सूचना है कि अभी तक सेना को स्पष्ट आदेश नहीं दिए गए हैं कि अगर आपको मारें तो आप भी मारें।

HON. SPEAKER: Mulayam Singhji, please take your seat.

श्री मुलायम सिंह यादव : मैंने ऐसा कहा था, जब हमारे सात जवान शहीद हुए थे, कि आप चार गुना मार गिराइए, हम उनसे आठ गुना हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुका है।

मल्लिकार्जुन खड़गे जी।

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : अध्यक्ष जी, सरकार जवाब दे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : धर्मेन्द्र जी, आप बैठ जाइए।

श्री धर्मेन्द्र यादव : अध्यक्ष जी, बहुत ही गम्भीर मामला है, सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर हमारे सैनिकों को छूट क्यों नहीं दी जा रही है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष जी, सरकार को जवाब तो देना ही चाहिए। यह देश का सवाल है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं, जवाब देने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकती हूं।

...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव : सरकार में बैठे लोगों को जवाब देना चाहिए कि हमारे सैनिक क्यों शहीद हो रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : धर्मेन्द्र जी, आप बैठ जाइए। मैं किसी को जवाब देने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकती हूं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं इस तरह से रोज-रोज जवाब देने के लिए नहीं कह सकती हूं।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदया, सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात रिकॉर्ड में आ गयी है। इस तरह से नहीं होता है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, नियम 56 के तहत हमने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। लेकिन वह स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार हो गया।

माननीय अध्यक्ष : एडजर्नमेंट मोशन स्वीकार नहीं हुआ है। मैंने शून्यकाल में यह बात कही है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, मैं 'अस्वीकार' कह रहा हूं। मुझे भी थोड़ी-थोड़ी हिन्दी आती है।

माननीय अध्यक्ष : आपको मुझ से अच्छी हिन्दी आती है। शायद मेरे सुनने में तकलीफ होने लगी है और यह आप ही के कारण हो रहा है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं अच्छे डॉक्टर के बारे में आपको बताऊंगा।

अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे जीरो ऑवर में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की परमिशन दी है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और मैं यह चाहता हूं कि सरकार इसका जवाब, खासकर प्रधानमंत्री जी जो स्वयं यहां आज आए थे, अगर वह इसका रिप्लायी देंगे तो सारे देश में एक अच्छा संदेश जाएगा। देश में दलितों पर अत्याचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।...(व्यवधान) अत्याचार की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने पहले ही कहा है कि मैं बोलने के लिए समय दे रही हूं, लेकिन मर्यादित तरीके से हर कोई अपनी बात रखे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : कुछ फासिस्टवादी शक्तियां दलितों को समाज में सबसे नीचे पायदान पर रखना चाहती हैं। ऊना, रोहित वेमुला और अब भीमा-कोरेगांव की हिंसा दलितों के प्रति अत्याचार के उदाहरण हैं। ग्रामीण

क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी दलितों के खिलाफ होने वाले अत्याचार बढ़े हैं जो कि बहुत चिंताजनक है। अध्यक्ष महोदया, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि दलित जब कभी स्वाभिमान से जीने के लिए उठते हैं और जब उनका स्वाभिमान जागृत होता है तो वे कोई कार्यक्रम करते हैं। उसमें कुछ लोग इंटरफेयर करके या चंद लोगों को उचका कर उस कार्यक्रम को विफल करने और समाज में फूट डालने की कोशिश करते हैं। आज वही भीमा कोरेगाँव में हुआ है। वर्ष 1818 के जो दलित सैनिक थे, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी उसकी याद में वहां एक स्मारक है। वहां पर हर साल दलित लोग जाकर उसमें शामिल होकर श्रद्धांजली अर्पित करते हैं। अब तक कोई अहितकर घटना नहीं हुई, लेकिन आज जो परस्यू हुआ, यह क्यों हुआ, किसने इसमें इंटरफेयर किया, किसने उसको प्रोत्साहित किया और किसने उनको इंस्टीगेट किया, हमें यह सोचने की आवश्यकता है। जब दलित लोगों का सेना में या आर्मी में भर्ती होना हजारों सालों से प्रतिबंध था क्योंकि दलित अपने हाथ में हथियार नहीं ले सकता था।

माननीय अध्यक्ष : मुझे तो नहीं लगता कि हजारों सालों से प्रतिबंधित था।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हमारे देश में मनुस्मृति से लेकर ब्रिटिश आने तक कोई दलित अपने हाथ में हथियार नहीं लेता था, क्योंकि उनको प्रोहिबीशन था।

माननीय अध्यक्ष : शिवाजी की सेना में तो दलित थे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसे ही कोई भी स्टेटमेंट मत दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, मेरे पास पूरी जानकारी है। शिवाजी के वक्त क्या हुआ और पेशवाओं के साथ क्या हुआ। मैं दोनों बातें बोलता हूं। ...(व्यवधान) शिवाजी के वक्त तो दलित थे, लेकिन पेशवा के वक्त पीछे तो झाडू लगायी और मुंह पर दो लोगों ने थूकने के लिए मंडी लगायी।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, सबको मालूम है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आपको मालूम है ना।

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़ कंटीन्यू।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : ये चीजें पेशवा करते थे। शिवाजी के बाद उनको सेना में भर्ती होना बैन था। ब्रिटिश गवर्नमेंट में जब वह बैन उठाया गया...(व्यवधान) और उन लोगों को भर्ती करने का, सिर्फ महार रेजीमेंट का नहीं है, राजपूत रेजीमेंट है, जाट रेजीमेंट है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप अपनी बात को जल्दी पूरा कीजिए। शून्यकाल में लम्बा भाषण नहीं होना चाहिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक बात यह भी ध्यान में रखिए कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद इसकी ज्यूडीशियल इन्क्वायरी भी कर दी गई है। आप सब बातों का ध्यान रखकर बोलिए और संक्षिप्त में बोलिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : सबका ध्यान रखना है।

माननीय अध्यक्ष : जो आज की तारीख में रखना चाहते हैं, वह बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं, आज यही बात कर रहा हूं। जो भीमा कोरेगाँव में हुआ है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं इस पर चर्चा नहीं करा रही हूं। आप केवल मामला उठाइए, नहीं तो मुझे किसी दूसरे सदस्य का नाम लेना पड़ेगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मामला उठाया है। लेकिन कोरेगाँव में जो हुआ है, इससे समाज में डिवीजन करने के लिए वहां पर महार और मराठों में फूट डालने के लिए वहां के जो कट्टर हिंदुत्ववादी हैं और **...** * के लोग हैं। ...(व्यवधान) इसके पीछे **...** * के लोगों का हाथ है।

MAJ. GEN. B.C. KHANDURI AVSM (RETD.) (GARHWAL): Madam, this should be expunged. What he said should not go on record. ...*(Interruptions)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : इसके पीछे उनका हाथ है। उन्होंने यह काम करवाया है।

* Not recorded

HON. SPEAKER: No, I am sorry. Do not make allegation, please.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं यह बात नहीं बोल रहा हूं।

HON. SPEAKER: No allegation, please. I am sorry.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : खुद शरद पवार जी ने यह कहा है। वह पुणे में रहते हैं। उन्होंने यह कहा है। मैडम स्पीकर, आप सुनिए। …(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Saugata Roy Ji.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, let him complete…..*(Interruptions)*

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, I speak with a deep sense of responsibility. You have already said….*(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : ज्यादा लम्बा भाषण नहीं होगा। शून्यकाल में जितना उठा सकते हैं, उतना उठाइए।

PROF. SAUGATA ROY : You have already said that we should say nothing here that will disturb the situation.

Our leader, Mamata Banerjee and our party believe in unity among all classes. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात कम्पलीट कीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एक बात सुनिए, शून्यकाल में लम्बा भाषण अलाउड नहीं है। आप अपनी बात एक मिनट में पूरी कीजिए। शून्यकाल में जितना बोल सकते हैं, आप उतना ही बोलिये।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं यहां वहां के तथ्य रख रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : आप दिखाओ मत, please complete it within one minute. That is okay.

… (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आपने पढ़ा होगा. इसीलिए जो दलितों पर...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप कम्पलीट करिये।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं आपको इतने उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन इतना समय नहीं है। लेकिन गुजरात के ऊना में हो, महाराष्ट्र में हो, राजस्थान में हो....

माननीय अध्यक्ष : नहीं होना चाहिए, आप अपनी भावना यहां रखो।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हर जगह जहां-जहां **...** * की गवर्नमेंट है...

HON. SPEAKER: No allegation will be allowed.

… (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : वहां पर ज्यादा से ज्यादा अत्याचार हुए हैं।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: This will not go in record.

... (Interruptions) *

HON. SPEAKER: I will not allow any allegation.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैंने पहले ही बोला कि ज्यूडिशियल इंक्वायरी है, इसलिए नो एलिगेशन।

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : I want that a Supreme Court Judge should be appointed. … (*Interruptions*) He should inquire this and not the State Government. The State Government has taken a decision. That is a different thing. … (*Interruptions*)

It is my demand that the Prime Minister should come in the House and make a statement because he is always keeping quiet when such incidents happen. … (*Interruptions*) He does not take any action. … (*Interruptions*) He keeps mum. He used to say others ... * He is a ... * regarding *dalits*. … (*Interruptions*)

* Not recorded

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिये।

HON. SPEAKER: This will not go in record.

...(*Interruptions*) *

HON. SPEAKER: I am sorry.

… (*Interruptions*)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): मैडम, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो महाराष्ट्र में समस्या शुरू हुई है, उसका निदान नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उसे भड़काना चाहते हैं...(व्यवधान) उस पर राजनीति करना चाहते हैं। ...(व्यवधान) कांग्रेस आज के दिन हताशा में है। कांग्रेस गुजरात हार चुकी है, कांग्रेस हिमाचल हार चुकी है, कांग्रेस हर जगह हार का मुंह देख रही है ...(व्यवधान)

12.28 hrs

(*At this stage, Shri K. Suresh, Shri Gaurav Gogoi and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

… (*Interruptions*)

इसीलिए महाराष्ट्र में शांति और सुव्यवस्था के पैगाम की जो कामना करनी चाहिए, उसके लिए ऐलान करना चाहिए। जैसा आपने कहा कि ब्रिटिशर्स आए और भारत में डिवाइड एंड रूल की पालिसी को लेकर आए। आज के दिन ब्रिटिशर्स की जगह पर कांग्रेस वाले डिवाइड एंड रूल पालिसी कर रहे हैं...(व्यवधान) समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज में विद्वेष पैदा करने का काम कर रहे हैं। यदि आज के दिन में सबका साथ, सबका विकास यह विचार कोई सामने रखकर पूरे देश को एक साथ लेकर आगे जा रहे हैं तो वह हमारे नेता, श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी लेकर जा रहे हैं...(व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी लेकर जा रहे हैं।

मैडम, आपके नेतृत्व में यह हाउस, यह सदन, यह लोक सभा शांति का पैगाम देने का काम करे और वहां सभी लोग भाईचारे के साथ रहें, यह पैगाम देने का एक फोरम होना चाहिए, एक मंच होना चाहिए। वहां जो आग लगी है, उस आग को बुझाने के बजाय आग को भड़काने का काम मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही है ...(व्यवधान) इसकी हम घोर निंदा करते हैं। इसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ...(व्यवधान)

---

* Not recorded

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठिये, मैंने पहले ही सबको कहा है कि इस पर राजनीति मत करो। This is not fair on your part.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप दलितों की भलाई भी नहीं चाहते हो, चर्चा भी नहीं चाहते हो, ये तरीके नहीं होते हैं। आई एम सॉरी। मैंने इसलिए रिक्वैस्ट की थी, यह गलत बात है।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Saugata Roy ji, do you want to speak?

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: But, please mind your language.

PROF. SAUGATA ROY: I have given a notice of Adjournment Motion under Rule 56 on the clashes that broke out in Pune, Maharashtra on January 1^{st}. … (*Interruptions*)

Madam, that day the dailts had gathered in Bhima Koregaon to celebrate the visit of Dr. Ambedkar in 1927 to the spot where the dalits had fought the peshwas. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You do not know the incident.

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY : Madam, let me complete in two minutes. … (*Interruptions*)

Madam, our party and our leader, Mamata Banerjee, believes in harmony between classes. Any clash between two groups or two castes is condemnable. I think that the Maharashtra Government failed totally in anticipating the situation and preventing the violence which led to stone-throwing and arson. Many cars and vehicles were put on fire. … (*Interruptions*)

Madam, today there is bandh throughout Maharashtra. … (*Interruptions*) There is a possibility of further violence. … (*Interruptions*) We want this House to … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: They are doing it. The State Government is there.

Shri Adhalrao Patil Shivajirao.

… (*Interruptions*)

श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव (शिरूर) : अध्यक्ष महोदया, पिछले दो दिनों से महाराष्ट्र के भीमा-कोरेगाँव, जो मेरा चुनाव क्षेत्र है, जो कि पूणे से तीस किलोमीटर की दूरी है, वहां पर हिंसा हो रही है। …(व्यवधान) भीमा-कोरेगाँव में दो सौ साल पुराना इतिहास है और 90 साल से वहां हर पहली जनवरी को जश्न मनाया जाता है। …(व्यवधान) लेकिन पिछले दो दिनों से जो घटनाएं घटी हैं, उनसे दलित और बाकी किसी का संबंध नहीं है। …(व्यवधान) सिर्फ राजनीति के कारण, कुछ लोगों ने राजनीति करने के लिए और दोनों जातियों में तनाव बढ़ाने के लिए जान-बूझ कर ये कोशिश की है कि मराठा और दलित जातियों में झगड़ा हो जाए। …(व्यवधान) इसी के लिए यह तनाव किया गया है। …(व्यवधान) इसके बावजूद सरकार से मेरी माँग है कि सरकार गृह मंत्रालय की तरफ से महाराष्ट्र सरकार को सुझाव दे। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ज्युडिशल इंक्वायरी हो रही है न?

…(व्यवधान)

श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव: मैडम, वहां पिछले दो दिनों से पुलिस डिपार्टमेंट का कुछ फेल्योर हो गया है। …(व्यवधान) Police Department could not control the mob and clashes have just taken place.

माननीय अध्यक्ष : राव साहब दानवे पाटील जी बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री रावसाहेब पाटील दानवे (जालना) : अध्यक्ष महोदया, पूणे के पास भीमा-कोरेगाँव में जो घटना घटी है, उसका हम समर्थन नहीं करे हैं, उसकी निंदा करते हैं। …(व्यवधान) ब्रिटिशर्स में और उनमें जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को दो सौ साल पूरे हो गए हैं। …(व्यवधान) उसके सम्मान में इस बार भीड़ ज्यादा आई। …(व्यवधान) लेकिन वहां पर

राजनीति की भाषा इस्तेमाल की गई, जिसके कारण वहां पर यह दंगा हुआ है। ...(व्यवधान) मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार ने इसकी न्यायिक चौकसी का आदेश भी दे दिया है। ...(व्यवधान) महोदया, पिछले तीन सालों से महाराष्ट्र में हमारी सरकार है। ...(व्यवधान) तीन सालों में एक भी दंगा महाराष्ट्र में हुआ नहीं है। ...(व्यवधान) हमारा विकास का एजेंडा है। ...(व्यवधान) ये लोग हमारे इस विकास के एजेंडा को रोक नहीं पाते हैं। ...(व्यवधान) इसलिए ऐसे दंगे कराना इन्होंने शुरू किया है। ...(व्यवधान) हमारी सरकार इसका पूरा समर्थन करती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ...(व्यवधान) मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में शांति रखने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह कोशिश कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ...(व्यवधान) लेकिन ये लोग विकास का एजेंडा रोकने के लिए दंगों की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ...(व्यवधान) वहां पर कोई भी ऐसी घटना महाराष्ट्र सरकार घटने नहीं देगी और न्यायिक चौकसी हो रही है। ...(व्यवधान)

12.34 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

HON. SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members, who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over text of the matter at the Table of the House within twenty minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

… (*Interruptions*)

* Treated as laid on the Table.

(i) Need to allot plots to those candidates whose names came in draw of lots for land plots conducted by Jharkhand State Housing Board

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, रांची द्वारा दिनांक 25 एवं 29.06.2011 को प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से भू-सम्पदाओं के आवंटन हेतु आवेदन किया गया। आवास बोर्ड द्वारा दिनांक 20-08-2011 को सैकड़ों आवेदकों एवं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में भू-सम्पदाओं के आवंटन हेतु लॉटरी का आयोजन किया गया। लॉटरी की समस्त कार्यवाही विडियोग्राफी कराते हुए विधिसम्मत, युक्तियुक्त एवं पूर्ण पारदर्शी तरीके से सम्पन्न की गई। आवास विभाग के कर्मचारियों ने ही लॉटरी में आवंटन को रद्द करने का आवेदन किया, जिस पर जाँच समिति ने जांच कर लॉटरी एवं आवंटन प्रक्रिया को सही ठहराया। इसके बावजूद आवास विभाग द्वारा दिनांक 21.03.2015 को आवंटन रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश को रिट याचिका संख्या डब्ल्यू.पी.सी. 1346/2015 झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची ने दिनांक 08.04.2015 को विखण्डित कर दिया।

उल्लेख है कि लॉटरी प्रक्रिया के द्वारा आवंटित भू-सम्पदाओं के लिए आवंटियों द्वारा रकम लगातार आवास बोर्ड में जमा कराई जा रही थी। लगभग कुल राशि का 70% लोग पूरा पैसा दे चुके हैं। कई आवंटियों का इकरारनामा भी कराया जा चुका है तथा कई आवंटियों को आवंटित भू-सम्पदा का मापन करा कर उन्हें चाहरदीवारी निर्माण के लिए भी दिया जा चुका है।

लॉटरी का आवंटन दिनांक 20.08.2011 को छः साल से अधिक समय हो गया है। परन्तु झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड आवंटियों को भू-सम्पदा नहीं दे रहा है। अतः मेरी भारत सरकार से मांग है कि झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड द्वारा दिनांक 20.08.2011 को भू-सम्पदा लॉटरी के अनुसार सभी संबंधित आवंटियों को उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।

(ii) Need to extend army benefits to paramilitary forces.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): As per the rules, next of kin of all regular personnel of the paramilitary forces like CRPF, BSF, CJSF, JTBP, SSB among others get Rs 15 lakh as compensation if one dies in fighting terrorists or Maoists or any adversaries. According to government data, the nine lakh personnel-strong paramilitary forces, with the CRPF being the largest, is currently deployed in more insurgency affected areas than the army. When it comes to fighting terrorists in Jammu and Kashmir, tackling Naxals in dense forests of Chhattisgarh or facing attacks of hardcore insurgents in places like Manipur, the first person to be rushed is either from the Central Reserve Police Force or some other paramilitary force.

While in the Army an officer is entitled to 20 casual leave and jawans are entitled for 30 casual leave, in the CRPF all the personnel are entitled to 15 days casual leave. At entry level, jawans in paramilitary get a gross salary of Rs 21,000 while an Army jawan gets Rs 35,000. A large number of paramilitary forces officers have quit in the last five years due to stagnation and tough working conditions. Around 9,000 personnel quit BSF, CRPF, ITBP, CISF and SSB due to unfavourable working conditions.

The ministry of Home Affairs, through the office Memorandum dated 23.11.2012, directed the state governments that they ‘may’ extend to these retired people all benefits that they’ve extended to the retired members of the defence forces. However, through an RTI reply from the MHA, it has been revealed that no state other than Goa, has extended these benefits to the retired paramilitary personnel and this happened because of the non-mandatory nature of the said O.M. After much pressure, the government, on 27.09.2016, announced in the print and electronic media that all the facilities available to the retired Defence personnel shall be extended to the retirees of paramilitary forces as well. But, the same has still not been implemented and as a result of this, some of such retirees have also sent a legal notice to the concerned government departments and Ministries.

There needs to be a policy to extend the army benefits such as canteen facilities or martyrdom status to the paramilitary forces as well. Agreed that the army protects the borders of the country but the paramilitary forces fight the anti-national elements within the country. A fort needs to be defended by the sentries but it also needs watchful warriors who keep an eye out for insidious traitors within the kingdom. This is exactly what the paramilitary forces do. They too risk their lives for the well being of the citizens just like the army men. When the risk and the devotion is the same, then why this difference in the pay!

(iii) Need to release scholarship to girl students of senior secondary schools in Dausa Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री हरीश मीना (दौसा) : मैं केन्द्र व राजस्थान राज्य सरकार का ध्यान केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग व गरीब वर्गों के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की ओर आकर्षित करना चाहूँगा।

केन्द्र सरकार शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु स्कूल में पढ़ रहे अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़े व गरीब वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह सहायता राज्य सरकार के माध्यम से छात्रों तक पहुँचाई जाती है।

मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा की राजकीय उच्च माध्यमिक बालिक विद्यालयों का दौरा करने पर ज्ञात हुआ कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियों का लाभ गरीब छात्राओं को पिछले दो वर्षों से नहीं मिल पा रहा है, जोकि छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ स्वरूप है। इसके निराकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी व संबंधित मंत्रियों को पत्र लिख जल्द छात्राओं को छात्रवृत्ति से लाभान्वित करने हेतु अनुरोध किया था।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कृपया इस मामले पर गौर करें और सभी राज्य/संघ शासित सरकारों को आवश्यक सूचनाएँ जारी करें ताकि केन्द्र सरकार द्वारा जारी राशि का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके व इसकी निगरानी रखे कि आवंटित राशि उचित तरीके से उपयोग की जाए और यह समय पर जरूरतमंद छात्रों तक पहुँचे।

(iv) Need to provide compensation to villages of Garhwa district of Jharkhand falling under submergence area of Kanhar dam in Uttar Pradesh

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : मैं सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार सोनभद्र जिलान्तर्गत दुद्धी के अमवार में कनहर नदी पर डैम बना रही है। विदित है कि मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू (झारखण्ड) का जिला गढ़वा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से सटा हुआ है, जिसके कारण अमवार में डैम बनने से गढ़वा जिले के धुरकी प्रखण्ड के चार गांव फेफसा, भूमफोर, शुरू एवं परापानी कला डूब रहे हैं। झारखण्ड के इन चारों गांव के डूब प्रभावितों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहां के डूब प्रभावितों को मुआवजा की राशि का भुगतान कर दिया है तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार की मांग पर मुआवजे की राशि उन्हें भी दे दी है। लेकिन झारखण्ड के इन चारों गांव के ग्रामीण विस्थापन के भय से परेशान है तथा अपना जल्द सर्वेक्षण कराकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस डैम के निर्माण की लागत 2239 करोड़ रूपये है। डैम का लगभग 62 परसेंट कार्य हो चुका है तथा 2019 तक इस कार्य को पूर्ण कर देना है। इस डैम से सोनभद्र जिले के दुद्धी, कोण एवं कचनरवा क्षेत्र का 35467 हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी। उत्तर प्रदेश सरकार एवं झारखण्ड सरकार के समझौते के अनुसार इस डैम से 7000 क्यूसेक पानी झारखण्ड को दिया जायेगा। जिससे खरौंधी एवं केतार प्रखंड के क्षेत्रों में सिंचाई होगी।

अतः मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि झारखंड के गढ़वा जिले के उपरोक्त चारों गांव के डूब प्रभावितों को अविलंब मुआवजे की राशि दिलाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(v) Need to establish a research centre of Yoga and AYUSH in Uttarakhand

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार) : मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूँ और यह मेरा परम सौभाग्य है कि इस गरिमामयी सदन में मैं विश्व की योग और अध्यात्म की राजधानी हरिद्वार का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां पर संपूर्ण विश्व से लोग योग व अध्यात्म की खोज के लिए आते हैं और उसका आनंद उठाते हैं।

आयुर्वेद अर्थात् आयु का विज्ञान एक शाश्वत चिकित्सा पद्धति है जो न केवल तन का बल्कि मन और मस्तिष्क को स्वस्थ करने की बात करती है। विश्व के 60 प्रतिशत से अधिक लोग पारंपरिक दवाईयों का उपयोग करते हैं। चरकसंहिता और सूश्रूत संहिता में हजारों पादप परिवारों का वर्णन है और मुख्यतः हिमालय ही उनका उद्‌गम स्थल है। विकसित देशों से 40 प्रतिशत से अधिक लोग जड़ी-बूटी का सेवन करते हैं। भारत की 70 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण जनता आयुर्वेदिक दवाईयों पर निर्भर है। आयुर्वेद की लोकप्रियता पूरे विश्व में लगातार बढ़ रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रकृति ने हमें आयुर्वेद की जड़ी-बूटियों का असीम खजाना दिया है। पिछले कुछ वर्षो से आयुष क्षेत्र में 20-25 प्रतिशत की विकास दर देखी गई जो कि अत्यंत उत्साहजनक है। उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है। जैव विविधता के क्षेत्र में यह विश्व के श्रेष्ठ स्थानों व हिमालय से घिरा यह प्रदेश 65 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र से आच्छादित है। ऐसी स्थिति में आयुष संबंधी किसी भी महत्वाकांक्षी योजना के लिए स्वाभाविक केन्द्र है। योग एवं आयुर्वेद में संस्कृत की महता के मद्देनजर हमने उत्तराखण्ड में इसे द्वितीय राजभाषा बनाकर प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया है। मेरा संसदीय क्षेत्र हरिद्वार तथा ऋषिकेष विश्व की योग एवं आध्यात्मिक राजधानी है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से विनम्र अनुरोध है कि उत्तराखंड में योग और आयुष का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान स्थापित करने की कृपा करें। क्योंकि उक्त शोध संस्थान में योग एवं आयुर्वेद पर शोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संसाधन जुटाए जाएं और भारत सहित विश्व के मानव का कल्याण हो सकेगा।

(vi) Need to expedite development works in Maghar, a place associated with Sufi Saint Kabir in Uttar Pradesh

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर) : विश्व के महान सूफी संत कबीर के निर्वाण के पाँच सौ वर्ष पूरे होने पर उनके निर्वाण स्थली मगहर में भारत के प्रधानमंत्री की विशेष रूचि लेने के कारण पर्यटन मंत्री के रूप में डॉ. महेश शर्मा द्वारा 9 अक्टूबर, 206 को संत कबीर की निर्वाण स्थली मगहर में पर्यटन संबंधी योजनाओं का शिलान्यास किया गया था किंतु कार्यदायी संस्था की लापरवाही के कारण एक वर्ष से ऊपर का समय होने के बाद भी विकासपरक कार्य नहीं हो पा रहा है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि संत कबीर की निर्वाण स्थली मगहर (उत्तर प्रदेश) में घोषित पर्यटन संबंधी विकास कार्यों का शीघ्र पूरा किया जाए।

(vii) Need to establish airports in Dhanbad and Bokaro in Jharkhand

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) : मेरे संसदीय क्षेत्र धनबाद के अंतर्गत दो जिले धनबाद एवं बोकारो, झारखण्ड राज्य के महत्वपूर्ण और औद्योगिक जिले हैं। धनबाद कोयला का देश की राजधानी माना जाता है। वहाँ कई केंद्रीय प्रतिष्ठान हैं जिसमें कोल माइंस प्रोविडण्ट फण्ड का मुख्यालय, सेण्ट्रल रिसर्च स्टेशन और वहीं पर आई.आई.टी., इण्डियन स्कूल ऑफ माइंस, डी.वी.सी. के दो प्रोजेक्ट मैथेन और पंचेत तथा बोकारो में स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया का बोकारो स्टील प्लाण्ट तथा आस-पास बहुत सी इण्डस्ट्री एवं कोलयरी है। दोनों ही स्थानों पर आधुनिक हवाई अड्डा के माध्यम से हवाई सेवाओं की नितांत आवश्यकता है। हालांकि धनबाद में पुराना व पुरानी तकनीक से बना हवाई अड्डा व हवाई पट्टी है और बी.एस.एल. का भी पुराना हवाई अड्डा पूर्व से अवस्थित है। जिनका आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है।

अतः मैं नागर विमानन मंत्री, भारत सरकार से माँग करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र धनबाद और बोकारो दोनों ही स्थानों पर आधुनिक हवाई अड्डा बनाया जाए तथा हवाई सेवा चालू की जाए जिसकी वर्तमान समय में नितांत आवश्यकता है।

(viii) Need to implement Diamond Quadrilateral project of Indian Railways

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : मध्य प्रदेश जैसे राज्य के बुन्देलखण्ड, महाकौशल एवं विन्ध्य में रेल मार्गों की कमी है। अनेक सर्वे जैसे जबलपुर-पत्रा-दमोह, खजुराहो-भोपाल, श्रीधाम से रामटेक उपलब्ध है। लेकिन उन पर कार्य आगे नहीं बढ़ सका है। इस सर्वे में सबसे महत्वपूर्ण रेल क्षेत्र की हीरक चतुर्भुज योजना का उत्तर-दक्षिण को जोड़ने वाला मार्ग भी बुंदेलखण्ड के ललितपुर (उ.प्र.) से रामटेक (महाराष्ट्र) व्याहा सागर-नरसिंहपुर जिलों से होकर गुजर सकता है। एन.डी.ए. के घोषणा-पत्र एवं सरकार के गठन के बाद रेल का हीरक चतुर्भुज बनाने का संकल्प व्यक्त किया गया था। अतः रेल के हीरक चतुर्भुज में उत्तर से दक्षिण की दूरी कम करने वाली यह योजना अतिशीघ्र प्रारंभ हो, ऐसी मांग विनम्रतापूर्वक भारत सरकार से करता हूँ।

(ix) Need to display reservation chart at railway stations and in trains coaches

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज) : मैं रेल मंत्रालय का ध्यान रेल गाड़ियों में रिजर्वेशन चार्ट नहीं लगाए जाने की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। पूर्व में सभी रेल गाड़ियों में एवं स्टेशन पर चार्ट बोर्ड पर रिजर्वेशन चार्ट लगाए जाते थे तथा डिजिटल डिस्प्ले प्लेटफार्म पर आरक्षित सीटों को दिखाया जाता था तथा यात्रा टिकटों का विवरण दिखाया जाता था, परंतु अब रिजर्वेशन चार्ट रेलगाड़ियों पर व स्टेशन के चार्ट बोर्ड पर न लगाए जाने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मोबाइल फोन में भी कंफर्म सीटों का विवरण पूरी तरह नहीं भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से सभी श्रेणी के यात्रियों को बेवजह तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है।

अतः केंद्र सरकार से आग्रह है कि माननीय रेल मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि चार्ट क्यों नहीं लगाया जा रहा हैं।

(x) Need to establish a memorial in honour of poet Dr. Ramdhari Singh Dinkar in Begusarai district, Bihar and also establish a University in his memory

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : राष्ट्रीय क्षितिज पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर तुलसीदास के बाद प्रकाशमान होते रहे हैं। उनकी कविताओं और उनकी रचनाओं को विश्व की 34 भाषाओं में अनुवादित किया जा चुका है। दक्षिण भारत में वे देवता की तरह पूजनीय हैं। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पं. जवाहर लाल नेहरू जी ने दिनकर की रचना संस्कृति के चार अध्याय की भूमिका लिखी है। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी जी ने कई अवसरों पर दिनकर की रचनाओं का अलंकृत स्वरूप अपने भाषण में दिया है। दिनकर सोवियत यूनियन की सूची में वहाँ के राष्ट्रीय संग्रहालय में उनकी जन्मभूमि की मिट्टी और उनकी प्रतिमा श्रद्धा के साथ मैक्सिन बोर्ड के चेखब टॉलस्टॉय के साथ रखी हुई है। दिनकर भारत की सांस्कृतिक आत्मा के प्रदीप्त चिराग हैं, परंतु उनकी जन्मभूमि सिमरिया और बेगूसराय आज भी उनके सांस्कृतिक आत्मा के स्वरूप को स्थापित करने के लिए प्रतीक्षारत है। बिहार में अथवा राष्ट्रीय स्तर पर दिनकर के नाम से कोई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। मैं इस ओर भारत सरकार के शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

(xi) Recruitment in army from Chambal region

DR. BHAGIRATH PRASAD (BHIND): From the last two years, the recruitment of soldiers in the army from the Chambal region is banned. The reason is that in 2015, the candidates from Chambal region created a chaos in Gwalior during the process of selection of soldiers. In fact more than 50 thousand candidates were called for the selection. The army official could not manage the crowd and failed to ensure fair process of recruitment. Thus the entire responsibility rests with the army personnel engaged in the process of selection. But the youth of Chambal region, who have the best credentials during the last 150 years, are being deprived of the opportunity to serve the nation. There is serious discontentment among the youth of the area.

(xii) Need to construct a permanent bridge on Gangotri National Highway in Uttarkashi district of Uttarakhand

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह (टिहरी गढ़वाल) : मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के जनपद उत्तरकाशी की ओर दिलाना चाहती हूँ। वर्ष 2017 की भीषण बाढ़ और आपदा में जनपद उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बना मोटर पुल बह गया था और तभी से बी.आर.ओ. ने गंगोत्री में "वेली ब्रिज " का निर्माण किया जो कि अस्थाई था। परंतु 14 दिसम्बर, 2017 को "वेली ब्रिज " भी टूट गया है, जिसके कारण चीन सीमा से लगे सैंकड़ों गांवों सहित गंगोत्री तीर्थ सहित चीन सीमा में तैनात सेना का सम्पर्क देश के साथ सड़क मार्ग से कट गया है। अस्सी गंगा में पानी कम होने के कारण बी.आर.ओ. ने आने-जाने के लिए अस्थाई व्यवस्था कर दी है। लेकिन बरसात के समय पानी का जल स्तर बढ़ने पर क्षेत्रीय जनता तीर्थ यात्रियों व सीमा पर तैनात सेना को भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा।

मेरा केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री से आग्रह है कि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर पक्का स्थाई मोटर पुल बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की कृपा करें।

(xiii) Need to construct an over bridge at Jugsalai in Jamshedpur Parliamentary Constituency, Jharkhand

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर अंतर्गत जुगसलाई ओवरब्रिज का निर्माण रेलवे अधिकारियों के गलत निर्णयों के कारण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। रेलवे अधिकारियों के द्वारा पहले रेलवे की जमीन 10 हजार स्क्वायर फीट के बदले 7 करोड़ रूपये तय हुई थी, जब राज्य सरकार उक्त राशि देने को तैयार हुई और निविदा भी निकाल दी तो इसी जमीन का मूल्य अब रेलवे के द्वारा जी.एस.टी. का नाम लेकर 12 करोड़ रूपये मांग की जा रही है। इस ओवरब्रिज की मांग विगत 70 वर्षों से है, लेकिन रेल विभाग द्वारा इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अगर रेलवे को बनाने में दिक्कत हो रही है तो दिन में भारी आवागमन को देखते हुए मालगाड़ी को वहीं पर रोक दिया जाए क्योंकि प्रतिदिन रेलवे लाईन के पार करते समय दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

अतः उपरोक्त विषय में माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि जनहित को देखते हुए अविलम्ब जुगसलाई ओवरब्रिज का निर्माण करवाने की कृपा की जाए।

(xiv) Need to provide stoppage of Utkal Express (Train No. 18477/78) at Sonua Railway station in Singhbhum Parliamenatry Constituency, Jharkhand

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम) : दक्षिण पूर्व रेलवे अंतर्गत चक्रधरपुर रेलवे प्रबंधक कार्यालय अंतर्गत सोनवा रेलवे स्टेशन मेरे संसदीय क्षेत्र सिंहभूम (झारखण्ड) अंतर्गत है। इस रेलवे स्टेशन के आस-पास विशाल औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर ओडिशा, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मजदूर काम करते हैं। यह रेलवे स्टेशन एक दर्शनीय स्थल के रूप में माना जाता है। सोनवा रेलवे स्टेशन के आस-पास के लोगों के बीच पुरी के जगन्नाथ मन्दिर एवं कोणार्क मन्दिर एवं भुवनेश्वर के लिंगराज मन्दिर के प्रति लोगों में काफी श्रद्धा है और प्रायः इसके लिए पुरी एवं भुवनेश्वर आते-जाते हैं। दूसरे राज्यों से अनेक लोग परिवार के साथ सोनवा रेलवे स्टेशन के आस-पास क्षेत्रों के दर्शनीय स्थानों पर घूमने के लिए आते हैं। इस सोनवा रेलवे स्टेशन पर निजामुद्दीन-पुरी के बीच चलने वाली उत्कल एक्सप्रेस अप 18477 एवं डाउन 18478 का ठहराव अति आवश्यक है। कई सालों से इसकी लगातार मांग भी की जा रही है, परंतु अभी तक उक्त रेल गाड़ी का ठहराव अभी तक नहीं किया गया है।

सरकार से अनुरोध है कि निजामुद्दीन-पुरी के बीच चलने वाली उत्कल एक्सप्रेस अप 18477 एवं डाउन 18478 का ठहराव सोनवा रेलवे स्टेशन पर किया जाये।

(xv) Need to set up consulate offices of ASEAN and other East Asian countries at Guwahati

SHRI RAMESHWAR TELI (DIBRUGARH): Assam is known as the Gateway to the East. An enhanced economic relation with the ASEAN and other East Asian Countries in terms of investment and technology would ensure greater economic activities in the region. In terms of geographical proximity also the North East is nearer to the ASEAN and the South East Asian Countries. For development of tourism and economic co-operation, it is essential to have regular communication facilities between the North Eastern States and all the above mentioned foreign countries. This would be in consonance with the Government's Act East Policy too. In order to facilitate greater economic activities as well as for the development of tourism, we need to have Consulate Generals of ASEAN and other East Asian Countries in the North East. Assam being the gate way to the North East, I would like to request you to take appropriate steps for setting up of Consulate Generals of these countries at Guwahati.

(xvi)Need for special funds to improve rural road connectivity in Manipur

SHRI THANGSO BAITE (OUTER MANIPUR): Manipur shares about 400Km long border with Myanmar. The topographical situation of the State comprises 10% valley regions and 90% hilly regions. The hilly region is inhabited predominantly by the tribals. As per the recent District reorganisation in the state by the state government, seven more new districts have been created in addition to the existing nine; which comes to a total of 16 districts in the state.

The bold step taken by the Ministry of Road Transport and Highways, which sanctioned for the construction of important highways in the state has been appreciated. lnspite of that, the district Headquarters and Sub-Division Headquarters, Block Headquarters and villages are unconnected till today. It is a well known fact that the state is financially dependent on the Centre as the state resource is very limited. The road connectivity particularly in the hill districts is very poor and is in a pitiable condition. Owing to that, it is not possible to take up proper health education programmes which are the prime need of the people living in those areas.

As a matter of fact, I would like to draw the attention of the Ministry of Rural Development to extend all possible help by providing special financial package to the tune of atleast Rs. 50,000 crore for rural connectivity in the ensuing financial year 2018-19.

(xvii) Need to fix a minimum 120 sittings of Parliament per year

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): It is a matter of concern that the number of Parliament sittings per year has been decreasing since independence. During the first two decades, Lok Sabha met for an average of over 120 days. This has come down to 70 in the last decade and 50 for this year. In countries like US, UK and Canada, at the beginning of the year, a calendar of sitting days is formalised where legislative and other businesses are programmed in with an average of 100- 150 sittings a year. The volume of pending legislation is a reminder that our Parliament needs to be more proactive. The legislature is the seat of decision-making and its convening shouldn't be subject to flexibility. I request the Minister of Parliament Affairs to ensure that the Parliament sit for a minimum period of 120 days in a year.

(xviii) Need to extend Salem-Karur Passenger Train upto Trichy

SHRI P.R. SUNDARAM (NAMAKKAL): Salem - Karur Passenger Train No. 56105 is in operation since long. Traders, students, working people are largely benefitted by this train. This Train connects temples in Salem, Raispuram, Namakkal & Karur. Many passengers have expressed their concern that the Southern Railway doesn’t operate Trains in Salem Division.

I wish to state that Salem - Palani Express was extended upto Palakkad. When this train can be extended upto Palakkad, why not Salem - Karur Passenger upto Trichy?

It is said that Railways have a proposal to discontinue the operation of this train due to revenue loss and other reasons. I wish to bring to the notice of Railway Ministry that if this Train is extended upto Trichy, Railways will get more revenue and this train will generate profit.

I have spoken about this on many occasions in the Parliament and met the Hon’ble Railway Minister and requested him to extend this Train from Salem to Trichy.

I once again, request the Hon’ble Railway Minister to kindly look into this matter and extend Train No 56105 Salem - Karur Passenger to Trichy.

(xix) Need to restore the earlier sharing pattern of funding to Centrally Sponsored Schemes

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): The State Governments welcomed the recommendations of the 14th Finance Commission which inter-alia increased the devolution of Central Taxes from 32 to 42 per cent to States. But the effect of such increased devolution has been offset to a large extent by several policy decisions of the Union Government which include delinking of eight Centrally Sponsored Schemes from Central support, abolition of Normal Central Assistance and a steep increase in State's share in Centrally Sponsored Schemes. The Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) which was earlier fully funded by the Union Government is now required to be funded 40 per cent by the concerned State Government. Similarly, the State's contribution to National Health Mission and Pradhan Mantri Awas Yojana has been increased from 25 to 40 per cent. I, therefore, urge upon the Union Government to restore the sharing pattern of the said Centrally Sponsored Schemes, to enable States to utilize increased devolution of Central Taxes for State's Schemes.

(xx) Need to allow Bullock Cart race celebrated in Pune district of Maharashtra

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO (SHIRUR): I wish to draw the kind attention of the Government towards a very important and sensitive issue pertaining to Bullock Cart Race or Bail Gada Sharyat, as locally called, which is celebrated extensively in the District of Pune in Maharashtra. This traditional festival has a history of being celebrated for the last many centuries.

However this has been banned by the Ministry of Environment and Forests citing provisions of Section 22 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960. The Hon'ble Supreme Court also gave similar judgement on 7th May, 2014. It is pertinent to mention here that a similar ordinance was passed by the Tamil Nadu Assembly in the case of Jallikattu, in which bulls are used, which was earlier banned alongwith Bullock Cart Race. This was approved by the Hon'ble President of India and has been implemented in Tamil Nadu. Jallikattu, is regularly held in Tamil Nadu now. Keeping the sentiments of the people in mind, the Maharashtra Government had also passed a resolution and issued an ordinance as in the case of Tamil Nadu, which was sent for the kind approval of the Hon'ble President of India. The Hon'ble President had given his approval. However, this could not be implemented on account of the intervention of the Hon'ble High Court of Bombay on an appeal fixed the by People for the Ethical Treatment of Animals. Thus, the people of Maharashtra have been deprived of the celebration of their festival and cultural heritage.

The farmers are agitated a lot and are taking out processions, staging agitations and other unlawful activities. They are planning major agitations throughout Maharashtra in the near future.

In view of the above, there is no other way except passing an amendment to the Act in the Parliament. Keeping in view the above, I earnestly request you to kindly table a bill of amendment to the Act in both the Houses of Parliament in the ongoing session itself so that this cultural festival is allowed in Maharashtra also as in the case of Tamil Nadu.

(xxi) Need to set up a National Cancer Institute at Rajahmundry in Andhra Pradesh

SHRI M. MURLI MOHAN (RAJAHMUNDRY): The Union Government is implementing Tertiary Care Cancer Centre Scheme in the country under which State Cancer Institutes (SCI) and Tertiary Care Cancer Centres (TCCC) are being set up in different parts of the country. These Centres shall mentor all Cancer related activities including research and treatment. I understand that the Union Government had already approved in principle, the setting up of 11 State Cancer Institutes and 13 Tertiary Care Cancer Centres covering entire country except in the State of Andhra Pradesh. I would, therefore, earnestly urge upon the Union Government to set up such National Cancer Institute at Rajahmundry, Andhra Pradesh as the incidence of various types of cancer related cases is very much prevalent in all the coastal districts of Andhra Pradesh particularly in East and West Godavari Districts including Rajahmundry.

(xxii) Need to restore services of earlier operational trains on Palakkad-Pollachi Railway line

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): I would like to draw the attention of the Government towards an important issue of Palakkad-Pollachi Railway line. The gauge conversion of this line was completed at a cost of Rs. 400 crore over a period of 7 years. However, despite one year after the completion of gauge conversion work, no new trains have been introduced on this line. Not only that, even the existing trains which ceased to operate temporarily due to the work have not resumed their services. This line connects Southern Tamil Nadu with Kerala. There is immense potential for new trains connecting pilgrim centres like Pazhani, Madhura and Rameswaram in Tamil Nadu and Guruvayur in Kerala. Introducing new trains connecting these destinations will be of great help to tens of thousands of pilgrims. This will be beneficial for Railways too. Hence, I request the Railways to restore all the previously existing operations of trains on the Palakkad-Pollachi route.

(xxiii) Need to remove the cap on number of applications recommended by Members of Parliament for seeking financial assistance under the Prime Minister's National Relief Fund (PMNRF)

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): प्रधानमंत्री सहायता कोष से मरीजों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वैसे तो सांसद अपने क्षेत्र के ही गरीब मरीजों के आवेदन को पी.एम.ओ. भेजते हैं,किन्तु यह देखा जा रहा है कि पिछले 2-3 वर्षों तक के आवेदन पी.एम.ओ. में पेंडिंग पड़े हुए हैं। इस तरह असाध्य रोगियों की इलाज के अभाव में मृत्यु हो जाती है। इधर यह सूचना मुझे दी गई है कि इस महीने तक आपके 12 या 20 केस पूरे हो चुके हैं, फिर अभी मेरे आवेदन पर विचार नहीं होगा। यह तो गरीब मरीजों के साथ उचित नहीं है, यह तो सरासर अन्याय प्रतीत होता है। आप सांसदों के आवेदन पर कैप लगा दिए है। यह सर्वथा उचित नहीं है। एक और समस्या गरीब मरीजों के साथ है कि वे अत्यंत गरीब ग्रामीण मरीज, जो कैंसर, हृदय रोग, न्यूरो, किडनी, लीवर, ऑर्थो जैसे गम्भीर एवं असाध्य बीमारी से ग्रसित हैं, पैसे के अभाव में दम तोड़ देते हैं, किन्तु इलाज नहीं हो पाता है, चाहे सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त हॉस्पिटल ही क्यों न हो। उक्त मरीजों को अभी पी.एम.ओ. आधा खर्च ही देती है या अधिकतम सीमा 3.00 लाख रूपए तक फिक्स कर दिया गया है। अब प्रश्न उठता है कि शेष राशि का उपाय मरीज नहीं कर पाता है और पी.एम.ओ. से फिक्स कर दिया गया है। अब प्रश्न उठता है कि शेष राशि का उपाय मरीज नहीं कर पाता है और पी.एम.ओ. से दी गयी सहायता भी उन गरीबों के काम नहीं आती है। कुछ केस में तो इतना विलम्ब कर दिया जाता है कि मरीज की मृत्यु के बाद पैसा हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल तो मरीजों से पैसों का भुगतान पहले माँगती है।

अतः मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इस अत्यंत ही मानवीय विषय पर विशेष ध्यान देने का आग्रह करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप कैप हटवा दें, पूर्ण सहायता राशि दिए जाने की सुविधा दें और साथ ही साथ आवेदन जमा होने के अधिक से अधिक 15 दिनों के अंदर आवेदन का निपटारा हो। अगर किसी वजह से आवेदन निरस्त किया जाता है तो उसकी सूचना एक सप्ताह में दी जाये।

(xxiv) Need to check the polluted waste material released by Hindalco company in Ranchi district, Jharkhand and also provide full service benefits to the workers of the company

श्री विजय कुमार हाँसदाक (राजमहल) : मैं राँची जिलान्तर्गत मुरी स्थित हिण्डालको कम्पनी के द्वारा किये जा रहे अनुचित कार्य की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कम्पनी के द्वारा 100 एकड़ जमीन में कोस्टिक मड के द्वारा 60 फीट ऊँचा पहाड़ बना दिया गया है, जो पूरी तरह से प्रदूषण मापदंडों के विपरीत है। इससे क्षेत्र की जनता विभिन्न प्रदूषण जनित रोगों से ग्रसित हो रही है, किसानों के पशु मर रहे हैं, कृषि भूमि बंजर होती जा रही है। बरसात के दिनों में कम्पनी का असंशोधित अपशिष्ट जल सीधा स्वर्ण रेखा नदी में छोड़ा जा रहा है तथा कोस्टिक मड भी बहकर नदी में जा रहा है, जिससे नदी का जल पीने योग्य नहीं रह गया है। वहां का क्षेत्र, जो लौह के उत्पादन में अग्रणी था अब नगण्यता पर पहुंच गया है। इसके अतिरिक्त कंपनी में संविदा पर कार्यरत मजदूर तथा दैनिक वेतनभोगी मजदूरों का शोषण हो रहा है। उन्हें अनुमन्य सीमा से कम वेतन का भुगतान किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अपनी नौकरी की सुरक्षा से भी मज़दूर वंचित हैं। मज़दूरों की वास्तविक संख्या के स्थान पर कम मज़दूर दिखाकर बाकी मजदूरों को पी.एफ. के लाभ से भी वंचित किया जा रहा है। मजदूरों द्वारा विरोध न होने से कंपनी में लगभग 3000 मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कंपनी के द्वारा विस्थापित लोगों को अभी तक मुआवजा अथवा नौकरी का लाभ भी नहीं दिया गया है, जिससे कंपनी के खिलाफ लोगों में असंतोष व्याप्त है। इस संबंध में 6 माह पूर्व मैंने केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री महोदय तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री को उपरोक्त अनियमितताओं के बारे में पत्र भेजा जिसकी केवल पावती आई और कार्यवाही आज तक नहीं हुई है।

सरकार से अनुरोध है कि कंपनी के अनुचित क्रियाकलापों तथा कंपनी में संवेदकों की भूमिका की उच्चस्तरीय जांच करायी जाये।

(xxv) Need to start a Passort Seva Kendra at Kattappana in Idukki district of Kerala

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): The Government has sanctioned a Passport Seva Kendra at Kattappana in Idukki District of Kerala. As of now the people living in Idukki district is depending on Cochin Passport Office for the entire passport related services, which is about 150 kilometers from the district border. So the new passport Seva Kendra will be of great help for the people living in Idukki district. The new Passport Seva Kendra is proposed to be started with the collaboration with the Postal department. The project was sanctioned 6 months ago and unfortunately it has not yet been started. As per the information received from the concerned authorities, the postal department has not yet been provided the building for the purpose. So I request the Government to intervene in this matter and do the needful.

(xxvi) Need to allow Government Medical College Parippally to admit students for MBBS course

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): The LoP for Government Medical College Parippally was issued on 31.05.2017 as per the directions passed by oversight committee and GOT. The MCI conducted inspection on 14.09.2017 and found that the College has failed to abide by the undertaking given as per the directions of oversight committee and GOI. The executive committee of MCI held on 25.10.2017 decided to debar the College from admitting students in MBBS course for a period of two academic year 2018-19 and 2019-20. Most of the deficiencies noticed in the inspection report are operational deficiencies. The deficiencies are easily rectifiable. If the College is debarred, it will adversely affect the functioning of the College and hospital. It is pertinent to note that 35 percentage of the seats are reserved for the children of insured persons. Most of the students and patients who depend on this College and hospital are from the weaker section of the society.

माननीय अध्यक्ष : अब हम बिल ले रहे हैं, आप लोग अपनी जगह पर जाइए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: We are taking the Bill. There will be no 'Zero Hour' now. Please go to your seats.

… (*Interruptions*)

12.35 hrs

OBSERVATION BY THE SPEAKER

Constitution (One Hundred and Twenty-Third Amendment) Bill, 2017
Amendment made by Rajya Sabha

HON. SPEAKER: Hon. Members, before we take up Item No. 22, that is, consideration of Rajya Sabha Amendment to the Constitution (One Hundred and Twenty-Third Amendment) Bill, 2017, I have to inform that there is a minor printing mistake in the Government Amendment to the Bill printed in today's revised List of Business.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: At Page 7, below "Clause 1", "2017" has been misprinted as "201".

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Members are requested to read it as "2017".

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: This is the only thing.

… (*Interruptions*)

12.36 hrs

(*At this stage, Shri E.T. Mohammad Basheer and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

HON. SPEAKER: Now, Shri N. K. Premachandran.

… (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam Speaker, this is the first time in the legislative history of the Indian Parliament that the Government is moving an alternate amendment to the amendment carried out by the Council, that is, the Rajya Sabha. … (*Interruptions*) It has never happened before to my information or knowledge. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please go to your seat.

… (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : So, I raise a Point of Order under … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12.45 pm.

… (*Interruptions*)

12.36 ½ hrs

The Lok Sabha then adjourned
till Forty-Five Minutes past Twelve of the Clock.

12.48 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Forty Eight Minutes past Twelve of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam, this is a very important issue. I want a reply from the Prime Minister on this issue. This is very important. Hon. Prime Minister should come and make a statement because such things are happening throughout the country. … (*Interruptions*) I would request through you, Madam, the hon. Prime Minister to make a statement. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहेंगे?

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I can understand that. But Maharashtra Government is doing something.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब ज्यूडिशियल इंक्वायरी की घोषणा हो चुकी है, तो ऐसा नहीं करते हैं। आप लोग बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने बोल दिया न! अब क्या बोलना चाहेंगे?

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, यह बहुत ही इम्पॉर्टेन्ट इश्यू है। इसमें प्राइम मिनिस्टर को इंटरफियर करना चाहिए और उनको अपनी बात रखनी चाहिए कि वे क्या चाहते हैं।...(व्यवधान)

12.49 hrs

CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTY-THIRD AMENDMENT) BILL, 2017 ...Contd.

Amendment made by Rajya Sabha

HON. SPEAKER: Shri Premachandran.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): My point of order is there, Madam. … (*Interruptions*) My point of order is under Rule 100 (2) of the Rules of Procedures and Conduct of Business in Lok Sabha. … (*Interruptions*) This is the first time in the legislative history of Indian Parliament that the Government is moving an alternate amendment to the amendment carried out by the Upper House, Rajya Sabha. … (*Interruptions*) It has never happened before to my information and knowledge. Here, in this case, you may kindly see Lok Sabha has passed the Constitution 123rd Amendment Bill, 2017 and transmitted it to Rajya Sabha for its concurrence. … (*Interruptions*)

What is the amendment in Clause 3? … (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA) : The Prime Minister is here. You can call him and ask him to appoint a sitting Judge of the Supreme Court to enquire into this. This is very important because it is not one incident. It is a failure of the Government. It is a failure of the Maharashtra Government. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : बैठिए। आपका बोलना हो गया न।

...(व्यवधान)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : What is the amendment made by the Rajya Sabha? … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am not allowing him. आपका कहना हो गया। अब मैं बिल लेना शुरू कर दी हूँ।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: You please go to your seat now.

… (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Clause 3 is the heart and soul of the Bill. … (*Interruptions*) I cannot understand the rationale of legislative wisdom of the Elders by deleting Clause 3 and returning to this House. … (*Interruptions*)

My point of order is whether the proposed amendment is an alternative amendment. According to me, the answer is 'no' because the Government is reproducing the same section of the original Bill with minor changes, which were deleted by the Rajya Sabha. Hence, I seek a specific ruling on this point of order. … (*Interruptions*)

12.52 hrs

(At this stage, Shri Mallikarjun Kharge and some other hon. Members left the House.)

HON. SPEAKER: Hon. Members, a point of order has been raised that the new clause 3 being now proposed by the Government in place of amendment made by the Council for omission of clause 3 does not fall within the meaning of amendment alternative to the amendment made by Rajya Sabha. In regard to Bills returned by Rajya Sabha with amendments, sub-rule (2) of Rule 100 of the Rules of Procedure provides that three types of amendments to an amendment made by Rajya Sabha can be moved in Lok Sabha. The

first being amendment relevant to the subject matter of an amendment made by Rajya Sabha, the second being amendment consequential upon an amendment made by Rajya Sabha and the last being an amendment alternative to an amendment made by Rajya Sabha. In the instant case, the Rajya Sabha has returned the Bill with an amendment seeking omission of a clause from the Bill. Hon. Members would appreciate that to an amendment seeking omission of a clause, no amendment or consequential amendment can be moved since there is no text before us for agreeing or disagreeing to such amendment. The dictionary defines the word “alternative” as “available as another possibility or choice”. The Government has proposed that in place of omission of clause from the Bill, the same clause be restored with some changes. In a way, the Government has proposed another choice in place of clause being omitted. In my opinion, therefore, the amendment tabled by the hon. Minister for restoring clause 3 with some changes falls within the category of amendment alternative to the amendment made by Rajya Sabha.

I, therefore, rule out the point of order.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I have given the ruling now.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, the House would now take up consideration of the amendment made by Rajya Sabha in the Constitution (One Hundred and Twenty-third Amendment) Bill, 2017, as passed by Lok Sabha. As you are aware, the hon. Minister has given notice to move an amendment alternative to the amendment made by Rajya Sabha and also further amendment regarding change of year from 2017 to 2018. I may inform you that in case the House adopts the alternative amendment, the original amendment made by Rajya Sabha would stand substituted by the alternative amendment. As such, the original amendment made by Rajya Sabha will not be proposed for vote of the House. Hon. Members, the alternative amendment seeks to insert a new clause 3 in the Bill. In this regard, I would like to invite your attention to Direction 31, which provides that

“when an amendment for insertion of a new clause in a Bill is adopted by the House, the Speaker shall put the question that the new clause be added to the Bill”. Therefore, in case the alternative amendment is adopted by the House, I shall also propose the new clause 3 to the vote of the House.

Hon. Members, since we are to consider a Constitution (Amendment) Bill, I shall propose the Motion for consideration of Rajya Sabha amendment, the motion for adoption of amendment alternative to the amendment made by Rajya Sabha, adoption of new clause 3, adoption for further amendment for change of year and the motion for passing of the Bill to the vote of the House by division through special majority as required under Article 368 of the Constitution. Keeping in view the spirit of Rule 156, amendments given notice of by private Members to the alternative amendment proposed to be moved by the hon. Minister shall be decided by simple majority.

Now, I call Shri Thaawar Chand Gehlot, hon. Minister, to move that the amendment made by Rajya Sabha in the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

(एक) कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक*, लोक सभा द्वारा यथापारित, में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए :-

Clause 3 Insertion of new article 338 B

कि पृष्ठ 2 और 3, खण्ड 3 का लोप किया जाए।

HON. SPEAKER: Now, hon. Minister to move the alternate amendment to the amendment made by Rajya Sabha in the Bill, as passed by Lok Sabha.

* This Bill was passed by Lok Sabha on the 10th April, 2017 and transmitted to Rajya Sabha for their concurrence. Rajya Sabha passed the Bill with an Amendment at their sitting held on the 31st July, 2017 and returned it to Lok Sabha on 1st August, 2017.

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

(दो) कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक, लोक सभा द्वारा यथापारित, में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन कि पृष्ठ 2 और 3, खण्ड 3 का लोप किया जाए, के स्थान पर राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन के निम्नलिखित वैकल्पिक संशोधन को प्रतिस्थापित किया जाए :-

कि पृष्ठ 2 और 3, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए,-

3. संविधान के अनुच्छेद 338क के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

" 338ख.(1) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नामक एक आयोग होगा।

(2) संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अध्यधीन, आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होंगे तथा इस प्रकार नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी, जो राष्ट्रपति नियमों द्वारा अवधारित करें।

(3) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

(4) आयोग को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।

(5) आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे-

(क) इस संविधान के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या सरकार के किसी आदेश के अधीन सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए उपबंधित रक्षापायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और मानीटर करना;

(ख) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के अधिकारों से वंचित किए जाने और रक्षापायों के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना;

(ग) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास में भाग लेना तथा सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य में उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(घ) राष्ट्रपति को, वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग उचित समझे, उन रक्षापायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ड.) ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के बारे में सिफारिशें करना, जो संघ या किसी राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए, उन रक्षापायों और अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, किए जाने चाहिए; और

(च) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा किए गए उपबंधों के अध्यधीन नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(6) राष्ट्रपति, ऐसी सभी रिपोर्टों को, संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन और ऐसी किसी सिफारिश की अस्वीकृति के कारणों, यदि कोई हों, सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।

(7) जहां ऐसी कोई रिपोर्ट या उसका कोई भाग किसी ऐसे मामले से संबंधित है, जिसका संबंध राज्य सरकार से है, वहां ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी, जो उसे, राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन और ऐसी किसी सिफारिश की अस्वीकृति के कारणों, यदि कोई हों, सहित राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखवाएगा।

(8) आयोग को, खंड (5) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण या उपखंड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत की जांच करते समय किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की, और शिष्टितया निम्नलिखित विषयों की बाबत सभी शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

(क) भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना;

(ड.) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) कोई अन्य विषय, जो राष्ट्रपति नियमों द्वारा अवधारित करें।

(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी मुख्य नीति विषयक मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।

HON. SPEAKER: Now, hon. Minister to move further amendment regarding change of year.

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

(तीन) भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले लोक सभा द्वारा यथापारित तथा संशोधन के साथ राज्य सभा द्वारा लौटाए गए विधेयक में निम्नलिखित और संशोधन किया जाए:-

Clause 1 Short title and commencement

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4,-

"2017" **के स्थान पर**

"2018" **प्रतिस्थापित** किया जाए"।

HON. SPEAKER: Shri N. K. Premachandran – Not present.

Now, Shri Bhartruhari Mahtab to move his amendment no. 3 to the alternate amendment moved by the hon. Minister.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Yes. While moving my amendment because last April, when this Bill was moved, there was a full-scale discussion.

HON. SPEAKER: Now, you only move the amendment.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Okay. I beg to move:

"That in the amendment alternative to the amendment made by Rajya Sabha, page 1, in the proposed new article 338B, *after* clause (2),- "

insert "Provided that at least one from amongst the Chairperson, Vice Chairperson and three other members shall be a woman". (3)

HON. SPEAKER: Shri Adhir Ranjan Chaowdhury – Not present.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I beg to move:

"That in the amendment alternative to the amendment made by Rajya Sabha, page 3, in the proposed new article 338B, *after* clause (9),- "

insert "Provided that such consideration shall not be mandatory for a State Government in respect of policy matters affecting socially and educationally backward classes, which are included in List II-State List of the Seventh Schedule to the Constitution.". (5)

HON. SPEAKER: Now, hon. Minister, say something about this Bill.

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, राज्य सभा में जब यह विधेयक गया था, तो वहां उन्होंने खण्ड तीन को विलोपित करने का प्रस्ताव पारित किया था और खण्ड तीन में उसके गठन से संबंधित प्रावधान, कि इतने सदस्य होंगे और इस-इस प्रकार के सदस्य होंगे, इस प्रकार का प्रावधान किया गया था।

13.00 hrs

परंतु उन्होंने कहा कि इसमें एक महिला सदस्य को होना अनिवार्य है और एक अल्पसंख्यक सदस्य का होना भी अनिवार्य है। इस प्रकार का संशोधन प्रस्तुत किया, जिसे सरकार ने नहीं माना, उन्होंने वोटिंग के माध्यम से इसे विलोपित करने का निर्णय लिया। इस संबंध में हमने जो विकल्प तैयार किया है, खंड 3 में हम किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं, जिसे लोक सभा ने पारित किया था, हम उसी प्रकार का प्रावधान कर रहे हैं। सदस्य योग्यता के आधार पर होते हैं। मैंने लोक सभा में आश्वासन भी दिया था कि जब नियम बनाएंगे तो महिला सदस्य का प्रावधान करेंगे और उसी आधार पर लोक सभा ने उसे स्वीकृति दी थी, लेकिन वहां उन्होंने नहीं माना, महिला सदस्य हो, इसका प्रावधान इसमें किया जाए। इसी प्रकार उन्होंने कहा था कि एक अल्पसंख्यक सदस्य भी होगा। जब ओबीसी कमीशन गठित होगा तो ओबीसी से संबंधित जो वर्ग उसमें आते हैं उसमें से ही सदस्य बनाने का प्रावधान है। ये दोनों बातें वहां से अस्वीकार कर दी। माइनारोटी कमीशन अलग से बना हुआ है, एससी कमीशन अलग से बना है, एसटी कमीशन भी अलग से बना हुआ है, उनका प्रतिनिधित्व उस आयोग में अपने आप होता है और हो रहा है।

अब हमने खंड 5 में एक संशोधन प्रस्तावित किया है, पहले प्रावधान था कि आयोग केवल सलाह देने का काम करेगा और सलाह देकर अपना प्रतिवेदन गवर्नर को देगा, लोक सभा में अनेक माननीय सदस्यों ने इस प्रकार के विषय रखे थे। राज्य सभा में भी यह कहा कि गवर्नर राज्य सरकार को नजरअंदाज करेंगे, इस तरह की भावना परिलक्षित होती है। हमने उसमें विकल्प दिया है कि 'गवर्नर' शब्द की जगह 'सरकार' शब्द जोड़ रहे हैं अर्थात सरकार की राय से ही आयोग अपना प्रतिवेदन बनाएंगे। 338 ख, 5 ग में इस प्रकार का प्रावधान किया है। इसी प्रकार से हमने संशोधन प्रस्तुत करते हुए यह बात कही है, आयोग केवल सलाहकार के रूप में ही काम करेगा, यह अधिकार पर्याप्त नहीं है, हमने उसमें कहा कि जहां ऐसी कोई रिपोर्ट या भाग ऐसे मामले से संबंधित हैं जिसका संबंध राज्य सरकार से है, वहां ऐसी प्रति राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी, जो राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने की प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन और ऐसी किसी सिफारिश की अस्वीकृति के कारण, यदि कोई हों, सहित राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखा जाएगा। रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जाएगी जो उसे राज्य से संबंधित सिफारिश पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन और ऐसी किसी सिफारिश की स्वीकृति के कारणों, यदि कोई हो, सहित राज्य के विधान मंडल समक्ष

रखा जाएगा। हमने तीन प्रकार का प्रावधान इसमें किया है, इस पर लोक सभा में विस्तार से चर्चा हो गई है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसे पारित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

" (एक) कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक, लोक सभा द्वारा यथापारित, में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए :-

Clause 3

कि पृष्ठ 2 और 3, खण्ड 3 का लोप किया जाए।

(दो) कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक, लोक सभा द्वारा यथापारित, में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन कि पृष्ठ 2 और 3, खण्ड 3 का लोप किया जाए, के स्थान पर राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन के निम्नलिखित वैकल्पिक संशोधन को प्रतिस्थापित किया जाए :-

कि पृष्ठ 2 और 3, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए,-

3. संविधान के अनुच्छेद 338क के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

" 338ख.(1) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नामक एक आयोग होगा।

(2) संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अध्यधीन, आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होंगे तथा इस प्रकार नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी, जो राष्ट्रपति नियमों द्वारा अवधारित करें।

(3) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

(4) आयोग को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।

(5) आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे-

(क) इस संविधान के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या सरकार के किसी आदेश के अधीन सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए उपबंधित रक्षापायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और मानीटर करना;

(ख) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के अधिकारों से वंचित किए जाने और रक्षापायों के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना;

(ग) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास में भाग लेना तथा सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य में उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(घ) राष्ट्रपति को, वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग उचित समझे, उन रक्षापायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ड.) ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के बारे में सिफारिशें करना, जो संघ या किसी राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए, उन रक्षापायों और अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, किए जाने चाहिए; और

(च) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा किए गए उपबंधों के अध्यधीन नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(6) राष्ट्रपति, ऐसी सभी रिपोर्टों को, संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन और ऐसी किसी सिफारिश की अस्वीकृति के कारणों, यदि कोई हों, सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।

(7) जहां ऐसी कोई रिपोर्ट या उसका कोई भाग किसी ऐसे मामले से संबंधित है, जिसका संबंध राज्य सरकार से है, वहां ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी, जो उसे, राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन और ऐसी किसी सिफारिश की अस्वीकृति के कारणों, यदि कोई हों, सहित राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखवाएगा।

(8) आयोग को, खंड (5) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण या उपखंड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत की जांच करते समय किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की, और शिष्टितया निम्नलिखित विषयों की बाबत सभी शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

(क) भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना;

(ड.) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) कोई अन्य विषय, जो राष्ट्रपति नियमों द्वारा अवधारित करें।

(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी मुख्य नीति विषयक मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।

(तीन) भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले लोक सभा द्वारा यथापारित तथा संशोधन के साथ राज्य सभा द्वारा लौटाए गए विधेयक में निम्नलिखित और संशोधन किया जाए:-

Clause 1

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4,-

"2017" **के स्थान पर** "2018" **प्रतिस्थापित** किया जाए"। "

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : अध्यक्ष जी, इसके पहले ही सदन में इसकी चर्चा हुई थी। आज 3 जनवरी देश की पहली शिक्षिका के रूप में सावित्री बाई फुले जी की जयंती है, इस अवसर पर हम सभी उनको नमन करते हैं। जिस प्रकार यह बिल यहां आया है। मंत्री जी सरकार की तरफ से अमेंडमेंट लेकर आए हैं। मैं ओबीसी की स्टैन्डिंग कमेटी के मेंबर के रूप में पिछले तीन सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। सदन के सदस्य उसमें हैं।

यहां पिछले कई दिनों से ओबीसी स्टैंडिंग कमेटी ने बात रखा। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से दो बार मिल चुके हैं। ओबीसी स्टैंडिंग कमेटी ने जो बातें सरकार के सामने रखी थीं, जो रिक्वेस्ट सरकार के सामने रखी थी, उसका संज्ञान सरकार ने नहीं लिया है। हमने ओबीसी मिनिस्ट्री के बारे में बात की थी क्योंकि देश में 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी है। ओबीसी स्टैंडिंग कमेटी की डिमांड रही है, युनेनिमस डिमांड रही है कि जब तक ओबीसी के लिए सैपरेट मिनिस्ट्री नहीं बनाएंगे, सैपरेट बजट नहीं देंगे, तब तक सही मायने में ओबीसी के उत्थान की बात नहीं कर सकते हैं।

आज सदन में भीमा कोरेगांव के बारे में चर्चा हुई, मैं भी उस बारे में निषेध व्यक्त करना चाहूंगा जो घटना हुई है। यहां जो बातें निकलकर पिछले तीन साल से आ रही हैं, मंत्री जी आप जवाब बहुत अच्छा देते हैं लेकिन उसमें तथ्य बहुत कम हो रहे हैं। कैसे तथ्य कम हो रहे हैं, जैसे पिछले तीन साल में पोस्ट ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स के स्टुडेंट्स की ओबीसी स्कॉलरशिप जिस प्रकार से कम हुई, पहले कभी कम नहीं हुई थी। मेरी आपसे विनती है जो स्कॉलरशिप पहले थी, उसमें बढ़ोत्तरी कीजिए, कम मत कीजिए। स्कूल में 25 रुपए स्कॉलरशिप ओबीसी बच्चों के लिए है, अगर 25 रुपए स्कॉलरशिप है तो इसमें वह क्या करेगा? वह कौन सी बुक या पैन खरीद सकेगा। आप यह बिल ला रहे हैं, हम अपनी तरफ से समर्थन जरूर करेंगे लेकिन ओबीसी के उत्थान की बात सरकार सिर्फ कह रही है, लेकिन सही मायने में अमल नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं कि कमीशन ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ओबीसी कमेटी ने बहुत सालों से इसके बारे में कहा है। इस बिल को तीन साल पास करने में क्यों लग रहे हैं, यह भी सवाल है? सही मायने में जिस प्रकार से सरकार को सीरियसली काम करना चाहिए था, कर नहीं पाई है।

हमने पिछली बार भी कहा था, ओबीसी कमेटी ने पिछली बार क्लियरली कहा था कि ओबीसी इन्कलूजन की इनकम की लिमिट बढ़ानी चाहिए। हमारी युनेनिमस रिकमेंडेशन थी कि जब तक इनकम लिमिट नहीं बढ़ाएंगे, सही मायने में ओबीसी को न्याय नहीं मिल सकता है। इस बारे में सरकार कुछ नहीं कर रही है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है, सरकार को इस बारे में सोचने की जरूरत है।

अभी मंत्री जी ने बड़ा अच्छा तर्क दिया कि माइनोरिटी कमीशन है इसलिए माइनोरिटी मैम्बर नहीं रहेगा, एससी कमीशन है इसलिए एससी मैम्बर नहीं रहेगा। इसी तरह महिला आयोग है, क्या महिला मैम्बर नहीं रखेंगे? महिला मैम्बर तो रखनी पड़ेगी, 50 प्रतिशत आबादी है। 50 प्रतिशत आबादी को आप रिप्रेजेंट क्यो नहीं करना चाहते है, यह लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है।

मैंने पिछली बार विनम्रता से अमेंडमेंट दिया था, आपने कहा था कि हम इसके बारे में सोचेंगे, पोजिटिवली सोचेंगे, इसलिए हमने विदड्रा किया था। वेणुगोपाल जी और मैंने अमेंडमेंट मूव किया था। अगर राज्य सभा ने इस अमेंडमेंट को स्वीकार किया है कि एक महिला मैम्बर चाहिए तो क्यों 50 प्रतिशत महिलाओं को न्याय नहीं देना

चाहते हैं, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप कह रहे है कि रूल में लेना चाहते हैं। रूल में क्यों लेना चाहते हैंi क्यों इसका प्रावधान एक्ट में नहीं करना चाहते हैंi यह सवाल है। यहां कोई अच्छी बात विपक्ष या किसी और के द्वारा आई है, तो उसे स्वीकार कर लीजिए। एक महिला मैम्बर उसमें एड हो, अगर यह अमेंडमेंट राज्य सभा का है, तो इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। इसमें प्रेस्टिज इश्यू करने की जरूरत नहीं है। जब आप कह रहे हैं "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" "महिला सशक्तिकरण", तब आप महिलाओं को एक्ट में अलाऊ नहीं कर रहे हैं। यह क्या लॉजिक है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप जो कहेंगे, वही कायदा बनेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर हमारी तरफ से अच्छी बात है तो एक्सेप्ट कीजिए, यह हमारा कहना है।

6 अप्रैल, 2017 को हमने ये बातें कही थीं, आपने कहा था कि हम रूल में करेंगे। मैं यहां उदाहरण देना चाहता हूं, मेंटल हैल्थ केयर बिल में मैंने बात कही थी, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि रूल्स में एड करेंगे, रूल्स में कुछ एड नहीं हुआ है। रूल्स बन गए, हमने जो अमेंडमेंट प्रपोज किया था, सरकार ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। यह मत कीजिए, जो अच्छा है, हमसे लीजिए।

यहां जो बातें डिस्कस हुई थीं, राज्य सभा में अमेंडमेंट पास हुआ, सरकार इससे कहीं न कहीं बाहर जाना चाह रही है। 50 प्रतिशत देश की आबादी अगर ओबीसी से है, तो एनसीबीसी कमीशन में पांच के बजाय सात मैम्बर होंगे, आठ मैम्बर होंगे, दस मैम्बर होंगे तो सरकार को क्या दिक्कत है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

अगर ज्यादा मैम्बर्स होंगे, तो ज्यादा रिप्रैजेंटेशन होगा। अगर ज्यादा रिप्रैजेंटेशन होगा, तो सही मायने में वहां सबको मौका मिल सकेगा। इसलिए मेरी सरकार से विनती है कि आबादी बढ़ गयी है। यहां पर कहा जा रहा है कि एससी कमिशन में है, एसटी कमिशन में है, इसलिए हम ओबीसी कमिशन में रखना चाह रहे हैं, तो यह कोई लॉजिकल तथ्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैम्बर्स बढ़ाने की जरूरत है। आप मैम्बर्स बढ़ाकर उन्हें एप्वाइंट करने का प्रौसेस कर रहे हैं, तो आपको रिमूवल के बारे में भी कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। जो मैम्बर्स अच्छा काम कर रहे हैं, जो चेयरमैन अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें आप रिवार्ड दें। लेकिन अगर कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो उस बारे में भी सरकार को सोचने की जरूरत है। सरकार ने ओबीसी कमेटी के रिकमेंडेशन्स की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं फिर से आपके माध्यम से सरकार के सामने यह बात लाना चाहता हूं कि हम इस कमिशन की बात जरूर करें। वैसे कमिशन के नाम बदलने की बात भी राज्य सभा में हुई थी। हम इस बारे में भी सरकार से स्पष्टीकरण चाहते हैं कि एजुकेशनली और बाकी बैकवर्ड क्लासेज के बारे में हम बात करेंगे, तो उसमें दिक्कत क्या है?

अध्यक्ष महोदया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन ओबीसी के हित के बारे में सरकार को जिस प्रकार से ध्यान देना चाहिए, वैसा ध्यान नहीं दे रही है। महिलाओं के प्रति, सावित्रीभाई फुले के जन्मदिन पर आप महिलाओं के प्रति अन्याय कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। इसलिए आप ओबीसी के बारे में ज्यादा ध्यान दें, मैं यह विनती यहां पर करता हूं।

अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गणेश सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने की अनुमति दी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह देश के आजाद इतिहास में एक ऐतिहासिक समय है, जिसकी बहुत लंबे समय से मांग थी। देश में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या 52 फीसदी से अधिक है, लेकिन अभी तक इस वर्ग को न्याय नहीं मिल रहा था। इस संबंध में आयोग बना, लेकिन आयोग को कोई अधिकार नहीं था। देश में कई राजनीतिक दल इस मांग को उठाते रहे कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाये, लेकिन आज तक उस बारे में किसी ने नहीं सोचा। मैं देश के प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में यह निर्णय लिया कि जिस तरह से एससी आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और एसटी आयोग को अधिकार है, उसी तरह से पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। ...(व्यवधान) संविधान में पिछड़ा वर्ग लिखा भी नहीं है, लेकिन प्रधान मंत्री जी ने उसमें 123वां संशोधन करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को निर्देशित किया। तब 10 अप्रैल को यह विधेयक लोक सभा में आया, उसमें लंबी बहस हुई और यह जरूरत बताई गई कि आखिकार इसमें आयोग को क्यों संवैधानिक दर्जा दिया जाये और उसके आधार पर इस सदन ने उसे पूरे बहुमत से पारित किया। लेकिन राज्य सभा में उस विधेयक को फिर से लटकाने की कोशिश हुई। राज्य सभा में बहस हुई और बहस में संशोधन आये। संशोधनों के बाद कहा गया कि पहले इस विधेयक को सलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया। वह विधेयक सलेक्ट कमेटी में चला गया। सलेक्ट कमेटी ने अपनी अनुशंसाएं करके भेजीं और उसके बाद उसे राज्य सभा ने पारित किया। उसमें जो संशोधन किया गया है इतना बड़ा महत्वपूर्ण विषय नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस की यह इच्छा थी कि इसे कैसे रोका जाये, लटकाया जाये। यह कोशिश की गयी। मैं इसमें माननीय प्रधान मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने किये हुए वायदे को पूरा करने के लिए पुनः उस संशोधन में कुछ और संशोधन करके। माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक को फिर से यहां प्रस्तुत किया है। मैं सबसे पहले उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। अभी श्री राजीव सातव जी कह रहे थे कि आज महिला दिवस है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आज महिला दिवस न होकर श्रीमती सावित्री भाई फुले का जन्मदिन है।

...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह : वह कह रहे थे कि आज श्रीमती सावित्री भाई फुले का जन्मदिवस है।

महिलाओं के सम्मान में, इसमें महिलाओं को सदस्य बनाने का प्रावधान किया जाए। मैं उन्हे बताना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि महिला सदस्य के रूप में भी नियुक्ति होगी, उसके लिए जो नियम बनाए जाएंगे, उनमें इसका प्रावधान किया जाएगा, क्योंकि उनकी आबादी 50 फीसदी है। जहां तक अल्पसंख्यकों का मामला है, जो पिछड़े वर्गों की सूची है, उसमें कई समाज एवं धर्मों के लोग हैं, उसमें मुस्लिम समाज के लोग

भी हैं। जो पिछड़ा वर्ग में आएगा, उसको निश्चित तौर से सदस्य के रूप में नियुक्ति का अधिकार रहेगा। इसके लिए अलग से कोई प्रावधान करने की जरूरत नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कौन सा राजनीतिक दल इस वर्ग के लिए कितना सोच रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने यह साबित करके दिखा दिया कि हम पिछड़ों के साथ हो रहे अन्याय को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको पूरा हक देकर रहेंगे और इस दिशा में आगे बढ़ने का काम हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो संशोधन किए गए, उनका कोई औचित्य था, अन्यथा अब तक आयोग का गठन हो जाता। प्रधान मंत्री जी ने यहां तक कहा है कि पिछड़ों में भी जो सबसे पिछड़े हैं, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक कमेटी गठित की है, जो पूरे देश में जाकर अध्ययन कर रही है कि कौन से ऐसे लोग हैं, जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है या उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है और उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उनके लिए अलग से व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस आयोग को संवैधानिक अधिकार मिलने जा रहा है। पिछड़ा वर्ग के विभिन्न संगठनों में काम करने वाले कर्मचारियों की शिकायतों को कोई सुनता नहीं था और दर्ज नहीं करता था। एससी आयोग के पास अधिकार था, लेकिन एससी आयोग हमेशा कहता है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, इसलिए हम इनकी शिकायतों एवं ग्रीवांसेज को नहीं सुन सकते हैं। हजारों की संख्या में ऐसी शिकायतें थीं। सभी विभागों में उन कर्मचारियों की हालत देखिए, वहां उनके नोडल अधिकारी तक नहीं बने हैं और उनकी शिकायतों का निराकरण नहीं हो रहा है। इस तरह की तमाम समस्याएं थीं। वे लोग कहां जाएं? पूरी तरह से निराशा का भाव था। आज स्कूलों-कॉलेजों को देख लीजिए, वहां आरक्षण का पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। कई केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स की नियुक्ति में एक स्तर तक उन्होंने सुधार किया है, लेकिन एक स्तर के बाद उसे छोड़ दिया है। एम्स, पटना में भी नहीं हुआ। जहां एम्स खुले हुए हैं, उनमें भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे कई संस्थान मैंने राज्य सरकारों में भी देखे, जहां पर पिछड़े वर्ग के बच्चों को एडमिशन में 27 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार है, जो उनको मिलना चाहिए, लेकिन वहां उनको वह अधिकार नहीं मिलता है। आखिरकार वे कहां जाएं? इनमें से जो लोग मेरिट में आते हैं, उनको OBC कैटेगरी में डाल दिया जाता है, जबकि उनका अधिकार है कि मैरिट में अनेक बार कि वे जनरल कैटेगरी में जा सकते हैं, भले ही वे ओबीसी हैं। इस तरह की तमाम शिकायतों का समाधान कौन करेगा? आज पूरे देश में, जब से पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक अधिकार देने की बात माननीय प्रधान मंत्री जी ने कही, चारों तरफ एक चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं दक्षिण भारत के कई राज्यों में गया, वहां बड़े-बड़े प्रतिनिधिमंडल आकर मिलते थे और कहते थे कि सचमुच इसकी कितनी जरूरत थी। उस जरूरत को कौन पूरा कर रहा है? आज हमारी सरकार उसे पूरा कर रही है। लोगों के मन में एक आशा जगी है, एक विश्वास और भरोसा जगा है कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाले प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है। जैसा उन्होंने कहा है - 'सबका साथ, सबका विकास,' सचमुच वह किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। ऐसी सरकार देने वाला, इस देश में मैंने पहला ऐसा प्रधान

मंत्री देखा है। उन्होंने पहले दिन से जो कमिटमेंट किया है, उसे पूरा कर रहे हैं। अभी तीन तलाक का मामला आया। क्या तीन तलाक को कानूनी दायरे में नहीं लाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने जब एक आदेश दिया तो उसे हमारी सरकार ने एक विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया। यह निश्चित तौर पर उनका हक था, उनका अधिकार है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय हमेशा इस बात के लिए प्रयास करता है कि सभी को सामाजिक न्याय मिले। मैंने कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय को सिफारिश भेजी थी।

उस सिफारिश में मैंने कहा था कि पिछड़े-वर्ग के बच्चों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है, वह बहुत कम है। वह सर्वाधिक राशि एस.सी. वर्ग के बच्चों को चली जाती थी। चूंकि क्लासिफिकेशन नहीं किया गया। मेरा एस.सी. वर्ग के बच्चों से कोई विरोध नहीं है। अच्छी बात है, उनको और मिलना चाहिए। लेकिन उसमें ओ.बी.सी. के बच्चों के लिए फंड की अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। वह बात जब हमने कही तो मैं माननीय मंत्री जी और सामाजिक न्याय मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने इस बार व्यवस्था की है। इस बार उन्होंने उनके लिए भी एक व्यवस्था की है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि यह विधेयक वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है।

पहले मंडल कमीशन बना, काका कालेलकर आयोग बना और इसके बाद कई राज्यों ने आयोग बनाये। उन सबने अपनी सिफारिशों में कहा था कि इस वर्ग को न्याय दिलाया जाए। इस वर्ग को न्याय पाने का हक है। सामाजिक और आर्थिक रूप से यह बहुत पिछड़ा हुआ समाज है। वर्ष 2011 में सेंसस जारी हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वर्ष 2011 में जब जनगणना हुई थी, सबसे पहले 1931 में हुई थी। उसके बाद फिर 2001 में हुई। इसके बाद 2011 में हुई। 2011 में जब गणना शुरू हुई तब इसी हाउस में, वरिष्ठ सदस्य आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी बैठे हुए थे और उसमें और भी सदस्य थे। सबने उस समय सदन में सवाल उठाया था। माननीय राम विलास पासवान जी भी हैं और सबने कहा था कि जो सेंसस हो रहा है, उसमें पिछड़े वर्ग का भी सेंसस कराया जाए और उनको डिक्लेअर किया जाए। उस समय माननीय प्रणव मुखर्जी जी सदन के नेता थे। उन्होंने इस बात को कबूल किया और निर्देश भी जारी किया। जहाँ तक मेरी जानकारी है सेंसस को उजागर नहीं किया गया, जो समिति बनी थी सर्वेक्षण की, जिनको अधिकार मिला था, उन्होंने अपनी सिफारिश सामाजिक न्याय मंत्रालय को दे दिया है कि वे इसे जारी कर सकते हैं।

मैं आज यहां इस सभा में माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस सेंसस को जल्दी से जल्दी घोषित करें, सार्वजनिक करिए, इसको प्रकाशित करिए ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिलाया जा सके। आज जरुरत इस बात की है कि इस देश में जो महाविद्यालय हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उनके जो पास-आउट बच्चे हैं, आज जब वे आई.ए.एस. और आई.पी.एस. की परीक्षा या अन्य सर्विसेज की परीक्षाओं में बैठते हैं, तो मैं देखता हूं कि उनको क्रीमी लेयर की सीमा में बांध दिया जाता है। क्रीमी लेयर की यह स्थिति है कि अगर क्रीमी लेयर रहेगा

तो उनकी नियुक्ति नहीं होगी, जैसे इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना ही इशारा किया था कि सरकार अगर चाहे तो उसमें आर्थिक आधार लगा सकती है। यह बात सही है कि आरक्षण में जिनको एक बार मौका मिल गया, उनको बार-बार न मिले। लेकिन चतुर्थ श्रेणी का कोई चपरासी भी है तो उसको सातवां वेतन आयोग मिलना शुरु हो गया है और यदि सातवें वेतन आयोग के तहत उसके वेतन, उसकी कृषि आय को भी उसकी आमदनी में अगर जोड़ देंगे तो चपरासी का बच्चा आई.ए.एस. कभी नहीं बन सकता। इसीलिए क्रीमी लेयर जैसे विषय को हटाया जाना चाहिए।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो अति पिछड़ो की पहचान के लिए समिति बनायी है उस समिति द्वारा ओ.बी.सी. के किस वर्ग को अभी तक लाभ नहीं मिला उस की पहचान की जायेगी। यह सही है। जिनको एक बार आरक्षण का मौका मिला है, बार-बार उनको न मिले। जब हम कुछ कर रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि क्रीमी लेयर को हटाया जाना चाहिए। क्रीमी लेयर को हटाकर सामाजिक और शैक्षणिक आधार रहे, लेकिन उसमें यह आर्थिक आधार देखा जाए कि जिसको मौका मिला है, उसको दोबारा मिलने की जरूरत नहीं है।

मैं सांसद हूं। मुझे आरक्षण की जरुरत नहीं है। मेरे बच्चों को भी जरुरत नहीं है। लेकिन जिनको मौका नहीं मिला है, लेकिन यदि कोई मेरी बिरादरी का है, कोई यादव बिरादरी का है, कोई अन्य बिरादरी का है, ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में वह आगे हो सकता है, सर्विस क्लास में भी आगे हो सकता है। वह आर्थिक आधार पर भी मजबूत होगा लेकिन अगर कभी आरक्षण का मौका उसको नहीं मिला तो क्रीमी लेयर की सीमा में रहकर वह जीवन में उसका कभी लाभ नहीं उठा सकता। यह कहीं न कहीं न्याय नहीं है। इसको सामाजिक न्याय की श्रेणी में लाना चाहिए। अगर एक बार मौका नहीं मिला तो निश्चित तौर पर उसको मौका पाने का हक है, चाहे वह कोई भी हो।

आज जनसंख्या के आधार पर भी आरक्षण व्यवस्था पर विचार करने की जरूरत है। एससी वर्ग में बहुत ऐसे हमारे भाई-बहन हैं और एसटी वर्ग में बहुत ऐसे भाई बहन हैं, जिनको पूरी तरह से अधिकार मिलना चाहिए।

मैं अभी तमिलनाडु गया था। तमिलनाडु में ऐसे कई वर्ग के लोग हैं जो ओबीसी में आना चाहते हैं, आंध्र प्रदेश के लोग ओबीसी में आना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग ओबीसी में आना चाहते हैं, राजस्थान के लोग ओबीसी में आना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के लोग ओबीसी में आना चाहते हैं एवं अन्य जगहों के लोग ओबीसी में आना चाहते हैं। जब यह आयोग गठित होगा तो निश्चित तौर पर उनको यह अधिकार मिलने जा रहा है कि वे इन विषयों पर विचार करेंगे, विचार करने के बाद यदि राज्य की सरकार का विषय होगा तो राज्य सरकार के पास भेजेंगे, केन्द्र से संबंधित होगा तो केन्द्र की संसद में भेजें।, यहां उसे उनको जोड़ने और बाहर निकालने का अधिकार मिल जाएगा।

निश्चित तौर पर यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, इस विधेयक का मैं पूरजोर स्वागत करता हूं और सदन के सभी माननीय सदस्यों और सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि पिछड़े वर्गों के लिए आप सभी अपना पूरा सहयोग दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : श्री कल्याण बनर्जी जी।

मैं किसी को नहीं रोक रही हूं, लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है कि जब इस बिल पर पूरी चर्चा हो चुकी है, अगर आप अमेंडमेंट तक ही सीमित रहें तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Madam, the Chief Whip of the BJP came to us and said that it should not take much time and that we will complete it quickly. But now I find that they have changed their stand as their speaker has spoken for 30 minutes. Nobody is opposing the Bill.

HON. SPEAKER: I am not objecting you also. I am saying that it is only an amendment.

SHRI KALYAN BANERJEE : Now this amendment has been brought to the Bill. I had also objected to it earlier. You do not claim that these facilities are being given to the OBCs by the present Government. There was almost a revolution in the country. The Mandal Commission was implemented. The matter was referred to the Supreme Court of India under article 143. The Supreme Court of India had passed the order. So neither it has been done by Modi Ji nor any other Ji. किसी जी ने यह नहीं किया है, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। So you do not claim that you have done this....(व्यवधान) आप दस सालों से कहां थे?...(व्यवधान) दस सालों में क्या-कितना हुआ है, आप क्या जानते हैं?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैठे-बैठे कोई चर्चा नहीं होगी।

...(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE : You do not claim credit for something which you have not done. So as far as OBCs are concerned, the beginning point is the judgment of the Supreme Court. A Constitution Amendment was brought in the month of April 2017. The OBC Commission wanted to have constitutional status and nothing more than that. We had agreed to it that it should be given constitutional status. At that time also I participated in the discussion on that amendment. At that time also I asked as to why the report should be sent to the Governor. I had said that it should be sent to the State Government. Now good sense has prevailed on the Government and they have come up with this amendment. At that time, they did not like it but good sense has prevailed now that the report should be placed before the State Government and the State Government will forward it to the State Legislature. That was our demand. आप लोगों ने नहीं सोचा था, हम

लोगों ने सोचा था, बाद में आपके दिमाग में आया, यही करना चाहिए। आप लोगों ने नहीं सोचा था। So many tall claims are being made.

The Sachar Committee had pointed out that there are OBCs in the Muslim community also and they too have to be included. मोदी जी नहीं लाए हैं, आप नहीं लाए, it was pointed out first by the Sachar Committee. You must tell the truth. The nation should know. ...(व्यवधान) आप चिल्लाएं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपके गले बुलंद हैं लेकिन बार-बार ऐसा न करें।

...(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE : The Sachar Committee report speaks about earmarking OBCs of the Muslim community also.

In 2011, when our Party came to power, hon. Chief Minister, Kumari Mamata Banerjee, started the process of identification of OBCs among Muslims. It has been done in 2011 itself and not in 2014. It was done long before 2014 when the Prime Minister had seen the dream, the dream itself got fulfilled in West Bengal. Long back, it had been done. Therefore, do not make tall claims. If you want to give an election speech, go there and do it.

You have faced the situation in Gujarat. What have you done there in the case of OBCs? Why are the OBCs now fighting against you in Gujarat? They are vociferous against you in Gujarat and the result has shown on how you have gone down there. It is because you have not accommodated the OBCs in Gujarat. This is the reality.

Madam, I want to point out one thing. The Commission will make the investigation – the hon. Minister is here – under article 338(5) of the Constitution. The provisions are made to investigate and monitor. There, you have not given any scope for the State Governments to speak or press the case of the State Governments. The State Government represents its own people. They understand and they know as to who will

be categorised as OBCs. That opinion should be given by the State Governments. There is no scope at all in the amendment to call for the opinion of the State Governments for consideration of the National Commission.

Under Clause 7, when the Report is placed before the State Government, the State Government will place it before the respective Legislature. Acceptance and non-acceptance will be given by them. What would be the effect of it? If the State Government is not agreeing to it, what is the scope of it? Where will the State Government raise their objection? You have not made any provision for it in the amendment.

Now, there is a contra-provision. There is no scope under this Constitution Amendment at any stage for the State Government to place its view before the Commission but you have made a provision under clause 9 that the Union and every State Government shall consult the Commission on all major policy matters affecting the socially and educationally backward classes. When you are thinking about OBCs, you are not taking the views of the State Governments but you are telling that the State Governments have to take decisions in consultation with the National Commission. This is a contradiction. And you are talking about cooperative federalism! Is this an illustration of cooperative federalism? Rather, it hits cooperative federalism itself. You have to take every party into confidence. Every State should be consulted. …(*Interruptions*)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिराज सिंह): अध्यक्ष महोदया, कल्याण बैनर्जी गलत रिपोर्ट दे रहे हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाएं।

…(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE : Where is the provision? Do not say like this. Let the hon. Minister give the reply on this point. Where is the clause for this in the Bill? …

(*Interruptions*) You cannot prevent the Opposition speak. You cannot prevent the Opposition view. You have to take note of the view of the Opposition. … (*Interruptions*) You cannot shout in this way. … (*Interruptions*) Madam, what is happening here? Madam, kindly tell me as to why he is disturbing me. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Only Shri Kalyan Banerjee's statement will go on record.

… (*Interruptions*) *

HON. SPEAKER: I have not permitted you. Please sit down.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: What is this?

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: What is this happening?

… (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE : He is a Minister. … (*Interruptions*) Is this the way the Minister would speak in the House?

HON. SPEAKER: Nothing will go on record except Shri Kalyan Banerjee's speech.

…(Interruptions) *

SHRI KALYAN BANERJEE : I am very sorry. … (*Interruptions*) See the body language of the Minister. … (*Interruptions*) This is the body language of the Minister. … (*Interruptions*) I am very sorry.

---

* Not recorded

HON. SPEAKER: Only Shri Kalyan Banerjee's speech will go on record.

…(Interruptions) *

SHRI KALYAN BANERJEE : I have not said that. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You can make your point when your turn comes.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

*…(Interruptions)**

HON. SPEAKER: Shri Kalyan Banerjee, please conclude.

SHRI KALYAN BANERJEE : How can I speak if the Minister intervenes in this way? … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप इस तरफ देखकर बोलिए। प्रत्येक सदस्य उठकर न बोलें।

…(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह (सतना) : आप हाउस को गलत जानकारी दे रहे हैं। …(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE : हमने कुछ गलत नहीं कहा है। गलत बात आपने कही है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग आपस में मत लड़िए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : गणेश सिंह जी, प्लीज बैठिए।

---

* Not recorded

SHRI KALYAN BANERJEE : Madam, see how the Opposition is being threatened. … (*Interruptions*) This is not the way. … (*Interruptions*) A Minister cannot behave in this way. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है?

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet on Thursday, the 4th January, 2018 at 11 a.m.

13.38 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
On Thursday, January 4, 2018/Pausha 14, 1939 (Saka).